



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/ PHALGUNA 27, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सा.का.नि. 316(अ).-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 उपखंड (II) में संख्या का.आ. 643 (अ) तारीख 2 मई, 2005 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया था;

और गोवा राज्य सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग में जुड़ने के लिए सम्मति की है और इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के अधीन केंद्रीय सरकार को इस निमित्त प्राधिकृत किया है और भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप खंड(II) में संख्या का.आ. 1271(अ) तारीख 30 मई, 2008 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग में जुड़ने के लिए गोवा राज्य को सुकर बनाया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 104 तथा धारा 180 की उप-धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का उपाबंध) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "लेखा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो संयुक्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट है और लेखों के अनुरक्षण और वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

- (ग) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है अथवा संयुक्त आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होता है।
- (घ) "अध्यक्ष" से संयुक्त आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है।
- (ङ) "वित्तीय वर्ष" से वह अवधि अभिप्रेत है जो वर्ष के 01 अप्रैल से आरंभ होकर समाप्ति वर्ष के 31 मार्च तक बारह कैलेण्डर महीनों से अनधिक हो।
- (च) "उपाबंध" से इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;
- (छ) "संयुक्त आयोग" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ज) "सदस्य" से संयुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;
- (झ) "भागीदार राज्य" से गोवा राज्य अभिप्रेत है;
- (ञ) "भागीदार संघ राज्य क्षेत्र" से दिल्ली को छोड़कर, कोई भी संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "अनुसूची" इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ठ) "सचिव" से संयुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है एवं परिभाषित नहीं की गई है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. आयोग के लेखे: (1) संयुक्त आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और संयुक्त आयोग के सचिव लेखे तैयार करने के लिए अपनी इस निमित्त संयुक्त आयोग के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं।

(2) संयुक्त आयोग का सचिव संयुक्त आयोग के लेखों के अनुरक्षण का पर्यवेक्षण, वित्तीय विवरण और विवरणी का संकलन करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए मांगे गए सभी लेखे, लेखाबही, संबंधित वाउचर, और अन्य दस्तावेज और कागत-पत्र उस अधिकारी के समक्ष रखे जाते हैं।

(3) संयुक्त आयोग का सचिव केंद्रीय सरकार और भागीदार राज्य सरकारों को उस तारीख तक जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो, संयुक्त आयोग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित और लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(4) संयुक्त आयोग निम्नलिखित लेखे तैयार करेगा अर्थात:

- (क) प्राप्ति और भुगतान लेखा
(ख) आय और व्यय लेखा
(ग) तुलन-पत्र

(5) संयुक्त आयोग का सचिव प्राप्ति और भुगतान लेखों, आय और व्यय लेखों तथा तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने और अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होगा।

(6) संयुक्त आयोग का सचिव लेखा परीक्षा अधिकारी को उस वर्ष के पश्चात जिससे लेखे संबंधित है, 30 जून से पहले वार्षिक लेखा कथन भी प्रस्तुत करेगा और लेखा परीक्षा अधिकारी संयुक्त आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा करेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यथा उपबंधित के सिवाय संयुक्त आयोग लेखा परीक्षा अधिकारी को राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर 31 मार्च, 2015 तक इसके गठन की तारीख से अवधि के लिए इन नियमों में संलग्न उपाबंध में लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा।

(8) संयुक्त आयोग, लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित किसी त्रुटि अथवा अनियमितता में सुधार करेगा और केंद्रीय सरकार और लेखा परीक्षा अधिकारी को इसके द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देगा।

4. आयोग के वार्षिक लेखा कथन तैयार करने का प्ररूप और समय: (1) संयुक्त आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा ब्यौरा तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्-

- (i) तुलन-पत्र;
- (ii) आय और व्यय लेखा;
- (iii) उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की अनुसूची;
- (iv) अनुदेश और लेखांकन सिद्धांत;
- (v) अनुसूचियों के लिए टिप्पण और अनुदेश;
- (vi) प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण।

(2) वार्षिक लेखा कथन अनुदेशों एवं लेखांकन सिद्धांतों तथा सभा पटल पर रखे गए कागज-पत्रों के संबंध में संसदीय समिति की सिफारिश पर नियुक्त केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए एकरूप लेखा प्रारूप संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार क्रमशः अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट टिप्पण एवं अनुदेशों के अनुसार अनुसूची-1 और अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(3) संयुक्त आयोग द्वारा उस वित्तीय वर्ष, जिससे लेखे संबंधित है, के पश्चात् तीन मास के भीतर वार्षिक लेखा कथनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(5) वार्षिक लेखा कथन का अनुमोदन: (1) लेखा अधिकारी, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद तीन मास में वार्षिक लेखा कथन तैयार करेगा और सचिव इसे अनुमोदन के लिए संयुक्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा और संयुक्त आयोग के अनुमोदन के बाद वार्षिक लेखा कथन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा उसके लेखा परीक्षा के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) संयुक्त आयोग के लेखे संयुक्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त कार्य संभालने वाले एक सदस्य और सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

6. लेखे इत्यादि के अभिलेख का संरक्षण: (1) संयुक्त आयोग इन नियमों के अधीन तैयार तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखों, तथा प्राप्ति और भुगतान लेखों के अभिलेख का न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण करेगा।

(3) लेखाबही और अन्य संबंधित अभिलेख संयुक्त आयोग के कार्यालय में रखा जाएगा और यह उत्तरदायित्व लेखा अधिकारी का होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि लेखाबही और अन्य सुसंगत अभिलेख को सही ढंग से रखा जाता है, उचित तरीके से सुरक्षित अभिरक्षा में संरक्षित रखा जाता है और जब भी आवश्यक होता है, लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाता है।

7. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखे और प्राप्तियां और भुगतान लेखे निदेशक (प्रशासन) अथवा संयुक्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

अनुसूची - I

उपाबंध क

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

की स्थिति के भाग के रूप में तुलन पत्र

(राशि - रुपये)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
संग्रह/पूंजीगत निधि	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
निश्चित/बंदोबस्ती निधि	3		
सुरक्षित ऋण और उधार	4		
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		

आस्थगित ऋण देयताएं	6		
चालू देयताएं और उपाबंध	7		
योग			
आस्ति			
नियत आस्ति	8		
विनिधान-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		
विनिधान-अन्य	10		
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम, आदि	11		
प्रकीर्ण व्यय (बड़े खाते अथवा समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक)			
योग			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

उपाबंध ख

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग का लेखा

(राशि – रुपये)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/अनुषंगी	13		
फीस/अभिदाय	14		
विनिधान से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निधि को अंतरित विनिधान से आय)	15		
स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17		
अन्य आय	18		
अंतिम माल और चल रहे कार्यों में वृद्धि/कमी	19		
योग(क)			
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
अनुदान अनुषंगी आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23		
मूल्य ह्रास (अनुसूची 8 के तत्स्थानी वर्ष के अंत में निवल योग)			
योग(ख)			

व्यय की तुलना में आय अधिक होने पर शेष (क-ख) विशेष आरक्षित को अंतरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) सामान्य आरक्षित को / से अंतरण			
पीछे से लाए गए संग्रह/पूँजीगत निधि अधिशेष/ (कमी) होने के कारण शेष संग्रह/पूँजीगत निधि			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

उपाबंध ग

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
_____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 1- संग्रह/पूँजीगत निधि: वर्ष के आरंभ में शेष जोड़े: अंशदान के लिए संग्रह/पूँजीगत निधि जोड़े/(घटाएं): निवल आय/व्यय का शेष व्यय आय/व्यय खाते से अंतरित		
वर्ष के अंत में शेष		

उपाबंध घ

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
_____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 2-आरक्षित और अधिशेष: 1. पूँजी आरक्षित: अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान कमी 2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित: अंतिम लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान कमी 3. विशेष आरक्षित: अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान कमी 4. साधारण आरक्षित:		

अंतिम खाते के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं: वर्ष के दौरान कमी				
योग				

उपाबंध ड
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	निधि-वार ब्यौरा योग				योग	
	निधि डब्ल्यूडब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 3-निश्चित/बंदोबस्ती निधि						
क) निधि का प्रारंभिक अधिशेष						
ख) निधियों में वृद्धि:						
i. संदान/अनुदान						
ii. निधियों के लेखाओं पर किए गए विनिधान से आय						
iii. अन्य अभिवृद्धि (स्वरूप को विनिर्दिष्ट करें)						
योग (क+ख)						
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- निर्धारित आस्तियां						
- अन्य						
योग						
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
योग						
योग (ग)						
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)						
टिप्पणी: 1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाए।						
2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाए और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाए।						

उपाबंध च
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:				
1. केंद्रीय सरकार				
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थान				
क) आवधिक ऋण				
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय				
4. बैंक:				
क) आवधिक ऋण				
- प्रोद्भूत ब्याज और देय				
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)				
- प्रोद्भूत ब्याज और देय				
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां				
6. डिबेंचर और बंधपत्र				
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
योग				
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय राशि				

उपाबंध छ
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 5-असुरक्षित ऋण एवं उधार				
1. केंद्र सरकार				
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थान				
4. बैंक:				
क) आवधिक ऋण				
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)				
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां				
6. डिबेंचर और बंधपत्र				
7. नियत निक्षेप				
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
योग				
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय राशि				

उपाबंध ज

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 _____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 6- स्थगित ऋण देयताएं:		
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य आस्तियों के बंधककरण द्वारा सुरक्षित स्वीकृति		
ख) अन्य		
योग		
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकम		

उपाबंध झ

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 _____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 7-चालू देयताएं और उपाबंध				
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकारी हुई हंडी				
2. विविध ऋणदाता:				
क) माल के लिए				
ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम				
4. प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं:				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5. कानूनी देयताएं:				
क) अतिदेय				
ख) अन्य				
6. अन्य चालू देयताएं				
योग (क)				
ख. उपाबंध				
1. कराधान के लिए				
2. उपादान				
3. अश्विर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण				
5. ट्रेड वारंटी/दावे				
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
योग (ख)				
योग (क+ख)				

उपाबंध अ
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र सहित अनुसूची

(राशि - रुपये)

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां										
व्यौरा	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के अंत तक योग	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
1. भूमि क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ख) पट्टे वाली भूमि										
2. भवन: क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर ख) पट्टे वाली भूमि पर ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर घ) भूमि, जो कंपनी से संबंधित नहीं है, पर सुपर निर्माण										
3. संयंत्र, मशीनरी और उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर और फिक्सचर क. कार्यालय उपकरण ख. कंप्यूटर संबंधी उपकरण ग. इलेक्ट्रिक संस्थापन घ. पुस्तकालय की पुस्तकें ङ. ट्यूब वेल और जलापूर्ति										
6. अन्य नियत आस्तियां										
योग वर्तमान वर्ष										
पिछला वर्ष										
ख. बड़े प्रगति पर चल रहे कार्य										
योग										
(उपर्युक्त सहित किराया खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के रूप में टिप्पणी दिया जाए)										

उपाबंध ट

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 _____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से विनिधान		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बंधपत्र		
5. अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध ठ

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 _____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10- विनिधान - अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बंधपत्र		
5. अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध ड

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 _____ की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रुपये)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11- वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम आदि		
क. वर्तमान आस्तियां:		
1. माल सूची:		
क) भंडार एवं फालतू पुर्जे		
ख) खुले औजार		
ग) साज-सामान		
परिसज्जित माल		
चल रहे कार्य		
कच्चा सामग्री		

<p>2. प्रकीर्ण ऋणदाता:</p> <p>क) छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण</p> <p>ख) अन्य</p> <p>3. हाथ में नकदी (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)</p> <p>4. बैंक शेष:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों के पास:</p> <p>-चालू खाते में</p> <p>-जमा खाते में (सीमांत धन सहित)</p> <p>-बचत खातों में</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास:</p> <p>-चालू खाते में</p> <p>-जमा खाते में</p> <p>-बचत खातों में</p> <p>5. डाक घर – बचत खाता</p>				
योग (क)				
<p>ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां</p> <p>1. ऋण:</p> <p>क) कर्मचारीवृद्ध</p> <p>ख) अन्य कंपनियों के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य कंपनियां</p> <p>ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>2. नकदी अथवा वस्तु के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए प्राप्त अग्रिम एवं अन्य राशियां:</p> <p>क) पूंजीगत खाते में</p> <p>ख) पूर्व भुगतान</p> <p>ग) अन्य</p> <p>3. प्रोद्भूत आय:</p> <p>क) निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से विनिधान पर</p> <p>ख) विनिधान पर – अन्य</p> <p>ग) ऋण और अग्रिम पर</p> <p>घ) अन्य (देय, प्राप्त नहीं की गई आय सहित - रुपये)</p> <p>4. प्राप्य दावे</p>				
योग (ख)				
योग (क+ख)				

उपाबंध ढ**[नियम 4(2) देखें]****असितत्व का नाम :** गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग**----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां****(राशि – रुपये)**

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय		
1) बिक्री से आय		
क) अंतिम माल की बिक्री		
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री		
ग) कबाड़ की बिक्री		

2) सेवाओं से आय क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं ग) अभिकरण का कमीशन और दलाली घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति) ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध ण

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 13- अनुदान/आर्थिक सहायता (प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं आर्थिक सहायता) 1) केंद्रीय सरकार 2) राज्य सरकार (रें) 3) सरकारी एजेंसियां (अभिकरण) 4) संस्थान/कल्याण निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध त

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 14- फीस/अंशदान 1) प्रवेश फीस 2) वार्षिक फीस/अंशदान 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस 4) परामर्शी फीस 5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		
टिप्पण - प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना है।		

उपाबंध थ
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां
(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 15- विनिधान से आय (निधियों से अंतरित निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से विनिधान पर आय)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बंधपत्र/डिबेंचर				
2) लाभांश:				
क) शेयरों पर				
ख) पारस्परिक निधि प्रतिभूतियों पर				
3) किराया				
4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
योग				
निर्धारित/बंदोबस्त निधियों को अंतरित				

उपाबंध द
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1) रॉयल्टी से आय		
2) प्रकाशन से आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध घ
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
----- को समाप्त अवधि अथवा वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 17- अर्जित ब्याज		
1) आवधिक निक्षेप पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग) संस्थानों में		
घ) अन्य		
2) बचत खाते पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग) डाक घर बचत खाता		
घ) अन्य		
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी/कर्मचारीवृंद		
ख) अन्य		
4) ऋणों और अन्य प्राप्य पर व्याज		
योग		
टिप्पण - स्रोत पर काटे गए कर को उपदर्शित किया गया है।		

उपाबंध न
[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 18 - अन्य आय		
1) बिक्री/आस्तियों के निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व आस्तियां:		
ख) अनुदानों से अधिग्रहित आस्तियां अथवा निःशुल्क प्राप्त		
2) वसूला गया निर्यात प्रोत्साहन		
3) प्रकीर्ण सेवा के लिए फीस		
4) विविध आय		
योग		

उपाबंध प

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 ----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 19- चल रहे कार्यों, परिसज्जित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/कमी		
क) अंतिम स्टॉक		
- अंतिम माल		
- चल रहे कार्य		
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
- अंतिम माल		
- चल रहे कार्य		
निवल वृद्धि/(कमी) [क-ख]		

उपाबंध फ

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 ----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 20- स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान		
घ) अन्य निधि के लिए अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारी सेवा निवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय		
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध ब

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 ----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रुपये)

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) खरीद		
ख) श्रम एवं प्रक्रमण व्यय		
ग) आवक भाड़ा और माल भाड़ा		

घ) इलेक्ट्रिक और विद्युत		
ङ) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत और अनुरक्षण		
ज) उत्पाद शुल्क		
झ) किराया, दर और कर		
ञ) वाहन चलाना और रख-रखाव		
ट) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		
ठ) मुद्रण और लेखन सामग्री		
ड) यात्रा और परिवहन व्यय		
ढ) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय		
ण) अभिदान व्यय		
त) फीस पर व्यय		
थ) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
द) आतिथ्य व्यय		
ध) पेशेवर प्रभार		
न) डूबंत एवं संदेहास्पद ऋण/अग्रिम के लिए उपाबंध		
प) बट्टे खाते डाला गया अप्रतिसंहरणीय शेष		
फ) पैकिंग प्रभार		
ब) माल भाड़ा और जावक व्यय		
भ) वितरण व्यय		
म) विज्ञापन एवं प्रचार		
य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध भ

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

----- **को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां**

(राशि - रुपये)

अनुसूची 22- अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान		
ख) संस्थानों/संगठनों की दी गई आर्थिक सहायता		
योग		
टिप्पणी - असितत्वों के नाम उनके कार्यकलापों और अनुदानों/आर्थिक सहायता की राशि सहित प्रकटीकरण किया जाना है।		

उपाबंध म**[नियम 4(2) देखें]**

असितत्व का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 ----- **को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां**

(राशि - रुपये)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 23- ब्याज		
क) नियत उधार पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग		

उपाबंध य**[नियम 4(2) देखें]**

असितत्व का नाम : गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
 ----- **को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए लेखों के लिए भाग के रूप में अनुसूची**

अनुसूची-24 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (व्याख्यात्मक)**1. लेखा अभिसमय**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत करार के आधार पर, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो और लेखांकन संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. तालिका मूल्यांकन

2.1 भंडार और फालूत पुर्जे (मशीनरी उपकरणों सहित) का मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, आंशिक रूप से तैयार माल, और तैयार माल का मूल्य निर्धारण न्यूनतम लागत और वसूलने योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है। ये लागतें भारित औसत लागत पर आधारित हैं। तैयार माल और आंशिक रूप से तैयार माल की लागतें सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं।

3. विनिधान

3.1 "दीर्घकालिक विनिधान" के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर आकलित किया जाता है। मूल्य ह्रास के लिए उपाबंध, अस्थायी के अतिरिक्त, ऐसे विनिधानों की लागत पर रखा जाता है।

3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत विनिधान न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर आकलित किए जाते हैं। ऐसे विनिधानों के मूल्य में कमी का उपाबंध पृथक रूप से विचार में लाए गए प्रत्येक विनिधान के लिए किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प शामिल होती हैं।

4. उत्पाद शुल्क

असितत्व निर्यातों के अतिरिक्त, द्वारा उत्पादन किए जाने वाले माल के संबंध में उत्पाद शुल्क के लिए देयता, उत्पादनकर्ता की प्रतिस्पद्धा पर आकलित की जाती है और वर्ष के अंत में उत्पाद शुल्क योग्य विनिमित्त माल के लिए उपाबंध किया जाता है।

5. नियत आस्तियां

5.1 नियत आस्तियां अधिग्रहण लागत पर आकलित की जाती हैं जिसमें आवक माल-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। उन परियोजनाओं के संबंध में जिनमें निर्माण, प्रचालन-पूर्व संबंधित व्यय (विशिष्ट परियोजना के लिए इसके पूरा होने से पूर्व ऋणों पर ब्याज सहित) शामिल होते हैं, जो पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य के भाग के रूप में हैं।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों (संग्रह निधि के लिए, के अतिरिक्त) द्वारा प्राप्त नियत आस्तियां का पूंजीकरण पूंजीगत रिजर्व के लिए समतुल्य ऋण द्वारा तय मूल्यों पर किया जाता है।

6. अवमूल्यन

6.1 नियत आस्तियां, जिनका परिशोधन संबंधित परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर आकलन किया जाता है, के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लागत समायोजन संबंधी अवमूल्यन के छोड़कर आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार ऋण पंक्ति पद्धति पर अवमूल्यन किया जाता है जो संबंधित आस्तियों के शेष जीवनकाल की तुलना में परिशोधन किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान अचल आस्तियों से होने वाली वृद्धियों/कटौतियों के संबंध में, यथानुपात आधार पर अवमूल्यन पर विचार किया जाता है।

6.3 5,000 रुपए अथवा इससे कम लागत वाली प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए पूर्णतः उपाबंध किया जाता है।

7. विविध व्यय

जिस वर्ष में व्यय हुआ है, से 5 वर्ष के अवधि के बाद स्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते में डाला जाता है।

8. बिक्रियों के लिए लेखांकन

बिक्रियों में उत्पाद शुल्क और निवल बिक्री प्राप्ति, छूट और व्यापार छूट शामिल होती हैं।

9. सरकारी अनुदान/अनुषंगी सहायता

9.1 परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत के योगदान के स्वरूप की सरकारी अनुदान को पूंजी रिजर्व के रूप में माना जाता है।

9.2 अर्जित की गई विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों के संबंध में अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत से घटाकर दर्शाया जाता है।

9.3 सरकारी अनुदानों/आर्थिक सहायता को प्राप्ति आधार पर शामिल किया जाता है।

10. विदेशी करेंसी का संव्यवहार

10.1 विदेशी मुद्रा में परिभाषित लेन-देन के लेखे लेनदानों में प्रचलित विनिमय दर पर तैयार किए जाते हैं।

10.2 चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और यदि विदेशी मुद्रा देयता नियत आस्ति से संबंधित होती है तो परिणामी लाभ/हानि को नियत आस्ति की लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में इसे राजस्व के रूप में माना जाता है।

11. पट्टा

किराए के पट्टे पर व्यय को पट्टों के निबंधनों के संदर्भ माना जाता है।

12. सेवानिवृत्ति फायदा

12.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर भुगतान की जाने वाली उपदान का दायित्व बोमांकिक मूल्य के आधार पर प्रौद्भूत किया जाता है।

12.2 कर्मचारियों के लिए अपनी संचित छुट्टी नकदीकरण फायदा के प्रावधान इस परिकल्पना के आधार पर प्रौद्भूत और संकलित किए जाते हैं कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में इस फायदा को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

उपाबंध कक [नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम: गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

_____ को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लेखों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताओं और लेखा पर टिप्पणियां (उदाहरणात्मक)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 असितत्व के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया - _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

1.2 निम्नलिखित के संबंध में:

- निकाय द्वारा/की ओर से दी गई बैंक प्रत्याभूतियां _____ रुपये _____ (पिछले वर्ष _____ रुपये)

- असितत्व की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - रुपये, (पिछले वर्ष _____ रुपये)

- बैंकों से छूट प्रदत्त बिल _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें:

आय कर _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

बिक्री कर _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

नगर कर _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

1.4 आदेशों का निष्पादन न किए जाने के लिए, पक्षों के दावों, जिनका निकाय द्वारा विरोध किया गया है, के संबंध में - _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए, तथा जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है, शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए पट्टा व्यवस्था वित्तपोषण के अंतर्गत किराये के लिए _____ रुपये (पिछले वर्ष _____ रुपये) तक की राशि का भावी दायित्व

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के विचार में, वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का कारबार के सामान्य क्रम में, समान आधार पर वसूली होने पर मूल्य राशि तुलन पत्र में दर्शाई गई सकल राशि की तुलना में कम होता है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कर योग्य आय न होने के परिप्रेक्ष्य में, आयकर के लिए किसी उपाबंध को आवश्यक नहीं समझा गया।

6. विदेशी करेंसी संब्यवहार

6.1 सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयातों का मूल्य:

- तैयार माल का क्रय
- कच्चे माल और संघटक (मार्गस्थ सहित)
- पूंजीगत माल
- भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं खपत योग्य।

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

(क) यात्रा

(ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण और ब्याज भुगतान

(ग) अन्य व्यय

- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और वृतिक व्यय
- प्रकीर्ण व्यय

6.3 आय:

एफओबी आधार पर निर्यात मूल्य

6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षकों के रूप में

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण हेतु
- अन्य

7. पिछले वर्ष के तदनुसूची आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक है, पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

8. अनुसूची 1 से 25 को _____ पर दिए गए तुलन पत्र के साथ संलग्न किया गया है और यह तुलन पत्र का एक अनिवार्य भाग है और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा है।

अनुसूची-2

अनुदेश और लेखा सिद्धांत

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम: गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

1. गैर लाभकारी और अन्य समान संगठनों के वित्तीय विवरण (अर्थात् तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा) प्राप्ति के आधार पर तैयार किए जाएंगे, सुझाव के रूप में होंगे, या यथासंभव उसके निकट होंगे।

यदि इस उपाबंध में किसी मद अथवा उप-मद यथास्थिति के अंतर्गत दी जाने वाली अपेक्षित सूचना को यथास्थिति तुलन पत्र या आय और व्यय लेखे में सुविधाजनक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है तो इसे एक पृथक अनुसूची या तुलन पत्र या आय और व्यय लेखा के साथ संलग्न की जाने वाली और इसका भाग बनने वाली अनुसूचियों में दर्शाया जा सकता है। इसकी सिफारिश वहाँ की जाती है जहाँ विषय अधिक होते हैं।

2. तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के कथन को वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाएगा, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को एक ही स्थान पर दर्शाया जाएगा। लेखा नीतियां विनिर्दिष्ट लेखा सिद्धांतों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निकाय द्वारा अपनाए गए उन सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। यदि कोई लेखा नीति लेखा मानकों के अनुरूप नहीं है, और लेखा मानकों से विचलन का प्रभाव सारभूत है

तो विचलन के विवरण को, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ ऐसे प्रभाव का पता नहीं लगता है, उसके कारणों तथा वित्तीय प्रभाव सहित दर्शाया जाएगा।

3. लेखा नीतियां एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक निरंतर लागू की जाएगी। लेखा नीतियों में किसी परिवर्तन को, जिसका वर्तमान अवधि में सारभूत प्रभाव है या इसके बाद की अवधियों में होने की संभावना है, दर्शाया जाएगा। लेखा नीतियों में किसी परिवर्तन, जिसका वर्तमान अवधि में कोई सारभूत प्रभाव है, की स्थिति में वह राशि जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों में किसी मद पर उस परिवर्तन द्वारा प्रभाव पड़ता है, को उस सीमा तक दर्शाया जाएगा जिस सीमा तक उसका पता लगाया जा सकता है। यदि ऐसी राशि का पता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नहीं लगाया जा सकता है तो इस तथ्य को भी दर्शाया जाएगा।
4. संव्यवहार और मामलों के तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे का लेखा उपचार और प्रस्तुतीकरण उनके सार द्वारा ही शासित होगा, उनके विधिक रूप मात्र द्वारा ही शासित नहीं होगा।
5. तुलन पत्र और/या आय और व्यय लेखा में मद के लेखा उपचार और दर्शाने के ढंग का अवघटित करने में, प्रभाव की मात्रा की धारणा पर उचित विचार किया जाएगा।
6. सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए उपाबंध किया जाएगा चाहे राशि का निर्धारण पूरी सटीकता से न किया जा सकता हो (और उपाबंध की राशि उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए केवल सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार होती है)।

'उपाबंध' से अभिप्रेत है जो उस राशि से है जो मूल्यहास, नवीकरण या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करके बट्टे खाते डाली गई हो अथवा रखी गई हो या कोई ऐसी ज्ञात देयता, जिसकी राशि का निर्धारण पूरी सटीकता से न किया जा सके, के लिए व्यवस्था करने के द्वारा रखा गया हो।

आकस्मिक हानि के लिए उपाबंध किया जाएगा, यदि:

- (क) यह संभावित है कि भविष्य के मामले इस बात की पुष्टि करेंगे कि किसी संबंधित संभाव्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है या तुलन पत्र की तारीख पर किसी दायित्व का वहन किया गया है, और
- (ख) परिणामस्वरूप होने वाली हानि की राशि का उचित प्राक्कलन लगाया जा सके। यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है तो आकस्मिक हानि के मौजूद होने को आय एवं व्यय लेखे की टिप्पणी के माध्यम से दर्शाया जाएगा यदि हानि की संभावना न्यूनतम न हो तो।
7. यदि किसी राशि को, आस्तियों के मूल्य में मूल्यहास, नवीकरण या क्षति के लिए व्यवस्था द्वारा बट्टे खाते डाला जाता है या रखा जाता है या वह राशि, जिसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक माना जाए, से अधिक की किसी ज्ञात देयता की व्यवस्था करके रखा गया है तो इस अधिक राशि को आरक्षित राशि के रूप में माना जाएगा, उपाबंध के रूप में नहीं।
8. राजस्व को मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि:
 - (क) संबंधित निष्पादन प्राप्त कर लिया गया है;
 - (ख) विचारणीय राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है; और
 - (ग) वसूली और अंतिम संग्रहण की आशा करना उचित नहीं है।
9. आय और व्यय लेखा में निम्नलिखित के संबंध में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा:
 - (क) "पूर्व अवधि" मदों, जिसमें एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में गलतियों और लोप के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में होने वाली आय या व्यय की सारभूत सामग्री शामिल हो।
 - (ख) "असाधारण" मदें, जोकि आय या व्यय की सारभूत मद हैं, जो उन घटनाओं अथवा संव्यवहार से उत्पन्न होती है जो निकाय की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और इसलिए इनके निरंतर या नियमित रूप से घटित होने की संभावना नहीं है।
 - (ग) "प्रकीर्ण आय शीर्ष" के अंतर्गत कोई मद जो निकाय के कुल वार्षिक कारोबार/कुल आय के 1 प्रतिशत से अधिक या 50,000/- रुपये, इनमें से जो भी ज्यादा हो, इसे आय एवं व्यय लेखा में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्शाया जाएगा।
 - (घ) "प्रकीर्ण व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो निकाय के कुल वार्षिक कारोबार के 1 प्रतिशत से अधिक या 50,000/- रुपये, इनमें से जो भी ज्यादा है, इसे आय और व्यय लेखा में उपर्युक्त शीर्ष में पृथक और भिन्न मद के रूप में दर्शाया जाएगा।

10. उपाबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचियां, लेखा नीतियां तथा विवरणात्मक टिप्पणी वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग होंगे।
11. तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेख के टिप्पणी में तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेख में मदों से संबंधित विवरणात्मक सामग्री होगी।
12. तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेख में दिए गए आंकड़ों को यदि निकटतम अंक तक पूरा किया जाता है तो वह निम्नवत् रूप से किया जाएगा:

वार्षिक कारोबार की राशि (रुपये में)	निम्नलिखित अंक तक पूरा करना (रुपये)
एक लाख से कम	सौ
एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम	हजार
एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम	लाख
सौ करोड़ या उससे अधिक किंतु एक हजार करोड़ से कम	करोड़

13. सुझावित फॉर्मेट के संबंध में संकलन हेतु संलग्न टिप्पणियों एवं अनुदेशों पर भी संदर्भ दिए जाएं।

अनुसूची - 3

टिप्पणियां और अनुदेश

[नियम 4(2) देखें]

असितत्व का नाम: गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

संग्रह/पूंजीगत निधि एवं देयताएं

अनुसूची-1 – संग्रह/पूंजीगत निधि

- क) संग्रह/पूंजीगत निधि पूंजी, शेयर पूंजी या स्वामी की निधियों के समान है। इसमें आय एवं व्यय लेखा में दर्शाए गए शुद्ध परिचालन परिणामों द्वारा बढ़ाए गए/कम किए गए के रूप में विशेष रूप से संग्रह में दिए गए अंशदानों के माध्यम से प्राप्त राशियां (आधिक्य से अतिरिक्त, यदि कोई है, जिसे आरक्षित या निर्धारित निधि में अंतरित कर दिया गया है) शामिल हैं।
- ख) संग्रह/पूंजीगत निधि की प्रारंभिक शेष राशि उसमें अभिवृद्धियां, कटौतियां और अंत शेष राशि को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।
- ग) संग्रह निधि में कोई भी वृद्धि किसी कानून परिनियम या लागू विनियमों के अनुसार अपेक्षित किसी आरक्षित या निर्धारित निधि में शुद्ध अंतरण, यदि कोई है तो, होगी।

अनुसूची-2 – आरक्षित और अधिशेष

1. पूंजीगत आरक्षित

* प्रारंभिक शेष

* वर्ष के दौरान अभिवृद्धि

* वर्ष के दौरान कटौतियां

"पूंजीगत आरक्षित" अभिव्यक्ति में आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी गई कोई राशि शामिल नहीं होगी। पुनःमूल्यांकन पर अधिशेष को पूंजीगत आरक्षित के रूप में माना जाना चाहिए और पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। विदेशी शाखा, यदि कोई है तो, के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन पर अधिशेष कोई पुनःमूल्यांकन आरक्षित नहीं होगा।

2. पुनःमूल्यांकन आरक्षित

* प्रारंभिक शेष

* वर्ष के दौरान अभिवृद्धि

* वर्ष के दौरान कटौतियां

परिवर्तित होती हुई कीमतों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए, अन्यथा प्रतिस्थापित ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई गई निर्धारित आस्तियां जिनका पुनःमूल्यांकन सामान्यतया सक्षम मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ऐसा विकल्प, जिससे ऊपरी पुनःमूल्यांकन हुआ है, "पुनःमूल्यांकन आरक्षित" के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है। यह आरक्षित एक वसूल न किया गया लाभ है और इसे आय एवं व्यय लेख में आय के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए।

3. विशेष आरक्षित

* प्रारंभिक शेष

* वर्ष के दौरान अभिवृद्धि

* वर्ष के दौरान कटौतियां

इसमें असितत्व पर लागू किसी कानूनी अथवा विनियामक आवश्यकता के अनुरूप सृजित किए जाने वाला अपेक्षित विशेष आरक्षित शामिल होगा; और यदि ऐसा है, तो इसे अनुसूची 27 में लेखों पर टिप्पणियों में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. साधारण आरक्षित

* प्रारंभिक शेष

* वर्ष के दौरान अभिवृद्धि

* वर्ष के दौरान कटौतियां

"साधारण आरक्षित" पद का अर्थ पूंजीगत आरक्षित और पुनःमूल्यांकन आरक्षित से इतर कोई भी अन्य आरक्षित होगा। इस मद में पृथक रूप से वर्गीकृत आरक्षित से इतर सभी आरक्षित शामिल होंगे।

टिप्पणियां-साधारण

(क) आरक्षित की विभिन्न श्रेणियों में गतिविधि इस तरह से दर्शाए जाने चाहिए जैसे कि अनुसूची में उपदर्शित है।

(ख) "आरक्षित" पद में आस्तियों के मूल्य में मूल्यह्रास, नवीकरण या क्षति के लिए व्यवस्था द्वारा को बढ़े खाते डाली गई या रखी गई या किसी ज्ञात देयता की व्यवस्था के माध्यम से रखी गई राशि शामिल नहीं होगी।

अनुसूची-3 – निर्धारित की गई/विन्यास निधियां

अनुदानों या सहायता के रूप में प्राप्त राशियां, या विशेष अथवा निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए निकाय द्वारा रखी गई तथा कोई विशेष प्रयोजन, जिनके लिए यह रखी गई है, व्यय/उपयोग की जाने वाली शेष राशि, इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जानी अपेक्षित है। इन निधियों को सरकार, सरकारी अभिकरणों, संस्थानों और अन्य अभिकरणों आदि से नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और ये कुछ अनुबंधित शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत निकाय द्वारा अनुपालन किए जाने के अधीन हैं। इस कारण से, उपलब्ध शेष राशियों और उनके उपयोग को अनुसूची में सुझाए गए ढंग से दर्शाया जाना चाहिए। केंद्रीय और/या राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को निधि की भिन्न श्रेणी के रूप में दर्शाया जाना होता है।

किसी पद, घर, भवन, न्यास आदि के लिए निर्धारित/विन्यास की अन्य योजना निधियों को निधि की एक भिन्न श्रेणी के रूप में दर्शाया जाना होता है।

निम्नलिखित की गणना निर्धारित निधियों के रूप में नहीं की जाएगी:

(क) अनुदान/निधियां, जिनमें प्रवर्तकों के अंशदान की विशिष्टताएं हैं, जो संग्रह निधि की अभिवृद्धि/वृद्धि की प्रकृति की हैं:

(ख) पूर्व के वर्षों में वहन किए गए व्यय/हानियों की क्षतिपूर्ति के रूप में निकाय द्वारा प्राप्त निधियां/अनुदान, क्योंकि इनकी गणना केवल वर्ष के आय और व्यय लेख में ही की जाएगी।

(ग) पूंजीगत आस्तियों या अन्य संसाधनों द्वारा गैर-वित्तीय अनुदानों, जिनका तदनुसूची ऋण पूंजीगत आरक्षित की प्रकृति का है, तथापि, ऐसे अनुदानों को संग्रह में अपरिवर्तनीय अंशदान के रूप में विनिर्दिष्ट किया न जाए।

टिप्पणियां-साधारण

(क) यह सुनिश्चित करना समुचित है कि पृथक निधियों में वृद्धि और उनका उपयोग इससे जुड़ी निबंधन और शर्तों के अनुसार हो।

(ख) निर्धारित निधियों का प्रतिनिधित्व, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट रूप से निर्धारित विनियानों या अन्य आस्तियों द्वारा किया जाता है।

(ग) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाना होता है और इन्हें किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाता।

(घ) अधिग्रहित/निर्मित निर्धारित आस्तियों से संबंधित अभिलेख को प्रत्येक निर्धारित निधि के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। तथापि, वार्षिक वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से, प्रत्येक वर्ष तक सकल संचित लागत तथा प्रत्येक निधि के संबंध में ऐसी निर्धारित आस्तियों को दर्शाया जाए जब तक कि आस्तियों को अधिग्रहित न कर लिया जाए और अनुसूची 8 में शामिल न कर लिया जाए।

अनुसूची-4 - अप्रतिभूत ऋण और उधार

1. केंद्रीय सरकार	प्रतिसंदाय के निबंधनों को उपदर्शित करना।
2. राज्य सरकार	राज्य सरकार का नाम और प्रतिसंदाय और निबंधनों को उपदर्शित करना।
3. वित्तीय संस्थाएं	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त ऋणों/पुनःवित्त पोषण शामिल है (प्रतिभागिता प्रमाण पत्रों, यदि कोई है तो, के प्रति देयता सहित)। सामान्यतया ये मियादी ऋणों के रूप में हो सकते हैं।
4. बैंक	वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त ऋणों/पुनःवित्त पोषण शामिल है। अन्य मियादी ऋणों को सुविधाओं की प्रकृति उपदर्शित करें।
क) मियादी ऋण	
ख) अन्य ऋण	
5. अन्य संस्थान और अभिकरण	उपर्युक्त वर्णित संस्थानों/अभिकरणों से इतर अन्य संस्थान/अभिकरण शामिल हैं।
6. डिबेंचर और बंधपत्र	डिबेंचर और बाण्डों को ऋणमोचन किए जाने की शर्तें उनके ऋणमोचन की निकटतम तारीख के साथ दर्शाई जानी चाहिए।

टिप्पणियां-साधारण

- (क) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति के संबंध में प्रत्येक मामले में सूचना दी जाएगी।
- (ख) प्रतिभूतित ऋण और ऋण निकाय की आस्तियों पर दृष्टिबंधक/रेहन/प्रभार के अनुसार होंगे।
- (ग) प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत ऋणों की सकल राशि, जिसकी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो, का इस तथ्य के साथ भी उल्लेख किया जाए कि इनकी इस प्रकार की गारंटी दी गई है।
- (घ) ऋणों और उधारों में, प्रतिभागिता प्रमाण पत्रों के साथ संस्थानों और अभिकरणों की वित्त पोषण देयता शामिल है।
- (ङ) देनदारों की छूट या प्राप्तियों या बिलों की पुनःछूट के माध्यम से प्राप्त राशियों को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा किंतु उधारों के रूप में दर्शाया जाएगा।
- (च) उपार्जित एवं देय ब्याज को उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उपार्जित किंतु जो देय नहीं हो, उस ब्याज को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा किंतु वर्तमान देयताओं के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा।
- (छ) गैर मान्यता प्राप्त ऋण संबंधी अंतर-शाखा बकाया प्रविष्टियां उधार के रूप में न दर्शाई जाएं।
- (ज) तुलन पत्र की तिथि के अनुसार, 12 माह से कम की अवधि के भीतर देय राशियों को दर्शाया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची-5 - अप्रतिभूतित ऋण और उधार

1. केंद्रीय सरकार	प्रतिसंदाय के निबंधनों को उपदर्शित करें।
2. राज्य सरकार (रें)	राज्य सरकार का नाम तथा प्रतिसंदाय की निबंधन दर्शाएं।
3. वित्तीय संस्थान	इनमें इंडस्ट्रीयल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त ऋण शामिल हैं। सामान्यतया ये आवधिक ऋणों के रूप में होंगे। आस्तियों पर प्रभार के लंबित सृजन के कारण, त्रिज ऋणों को 'अप्रतिभूतित' ऋण के रूप में दिया जाएगा।
4. बैंक	इनमें वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त उधार शामिल हैं। सुविधाओं की किस्म दर्शाएं।

खातों के अनुसार अधिविकर्षित अधिशेष ऋण का हिस्सा नहीं हैं तथा सामान्यतः खाता-अधिशेष से ज्यादा की राशि के जारी चेकों के कारण ऐसा होता है, ऐसा अधिशेष सिर्फ वहाँ ऋण के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ असितत्व को अधिविकर्ष सुविधा दी जाती है।

5. अन्य संस्थान और अभिकरण इनमें उपर्युक्त वर्णित से इतर संस्थानों/एजेंसियों के ऋण शामिल हैं।
6. डिबेंचर एवं बंधपत्र डिबेंचर एवं बंधपत्र के ऋणमोचन की निबंधन को उनके ऋणमोचन की निकटतम तारीख सहित बताया जाए।
7. सावधि जमा इनमें पब्लिक से अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त निर्धारित अवधि के लिए, बिना किसी प्रतिभूति के प्राप्त जमा शामिल हैं।

टिप्पणियां-साधारण

- क) अप्रतिभूतित ऋणों और उधारों में वह राशियां शामिल हैं जिनके संबंध में निकाय की किसी भी परिसंपत्ति को प्रतिभूति अथवा ऋण-ग्रस्त के रूप में प्रभारित न किया जाता हो।
- ख) उपार्जित एवं देय ब्याज को प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उपार्जित किंतु अदेय ब्याज को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन इसे वर्तमान देयताओं के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा।
- ग) तुलन पत्र की तिथि के अनुसार, 12 मास से कम की अवधि के अंदर देय राशि को दर्शाया जाएगा।

अनुसूची-6 – आस्थगित ऋण देयताएं

- (1) आस्तियों के अधिग्रहण के संबंध में अनुबंधित स्वीकृतियां तथा इसी प्रकार की अन्य दीर्घकालीन देयताएं, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार 12 मास से ज्यादा अवधि में आने वाली भुगतान की देयता यहां शामिल की जाएं।
- (2) यदि आस्तियों को प्रतिभूति अथवा देयताओं के अनुरूप ऋण-ग्रस्त के रूप में प्रभारित किया जाता है तो इस तथ्य को बताया जाए।
- (3) यदि सरकार द्वारा, किसी भी सरकारी अभिकरण, बैंक, संस्थान अथवा किसी अन्य असितत्व के द्वारा, चुकौती के लिए स्वीकृतियों की भी गारंटी दी जाती है तो इस तथ्य को भी बताया जाए।
- (4) तुलन पत्र की तारीख के एक वर्ष के अंदर सम्यक देय राशियों को पृथक रूप से दर्शाया जाए।

अनुसूची-7 – चालू देयताएं और उपाबंध

क. वर्तमान देयताएं

1. स्वीकृतियां इस उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल स्वीकृतियों में आहरक के क्रम में, विनिमय के बिलों पर आहरक की सहमति शामिल होगी।
2. विविध लेनदार इस उप-शीर्ष में दर्शाई जाने वाली राशियों में निकाय द्वारा, अन्य के पक्ष में खरीदे गए माल अथवा दी गई सेवाओं अथवा संविदात्मक दायित्वों पर देय राशियां शामिल होंगी। इन्हें माल के लिए अलग किया जाए तथा पृथक रूप से दर्शाया जाए।
- क) माल के लिए
- ख) अन्य
3. प्राप्त अग्रिम इस उप-शीर्ष की देयता में प्राप्त वह राशियां शामिल होंगी जिनसे माल की अभी आपूर्ति की जानी है/सेवाएं अभी दी जानी हैं अथवा इनका मूल्य अभी दिया जाना है तथा अग्रिम शुल्क शामिल है।
4. उपार्जित किंतु अदेय ब्याज इसमें प्रतिभूतित/अप्रतिभूतित ऋणों एवं उधारों पर वर्षांत तक का उपार्जित किंतु अदेय ब्याज शामिल है।
- क) प्रतिभूतित ऋण/उधार
- ख) अप्रतिभूतित ऋण/उधार

5. कानूनी देयताएं
क) अतिदेय
ख) अन्य

इनमें निकाय पर शासित केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों से संबंधित देयताएं शामिल हैं तथा आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती, सांविधिक बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, ईएसआई, एसएसआई यूनिटों की अतिदेयताओं पर ब्याज, बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क हेतु अप्रदत्त देयताएं तथा अन्य सांविधिक उदग्रहण शामिल हैं।

अतिरेक देयताएं गैर-विवादित राशियां होती हैं जोकि देय होती हैं तथा साधारण देय तारीख/अनुबंधित अवधि के बाद भी इनका भुगतान नहीं किया गया होता अर्थात् जो चूक-ग्रस्त होती हैं।

टिप्पण – साधारण

वर्तमान देयता वह होती है जो अपेक्षाकृत अल्पावधि अर्थात् 12 मास से अनधिक के अंदर भुगतान के लिए देय होती है।

ख. उपाबंध

- कराधान के लिए वर्षात के अनुसार, कर मामलों की स्थिति के आधार पर उपाबंध बनाए जाने तथा रखे जाने अपेक्षित होते हैं।
- उपदान कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता के उपाबंधों को बीमांकन आधार पर उपार्जित किया जाना तथा वर्षात तक प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- अधिवर्षिता/पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय देयता का उपाबंध अधिवर्षिता आधार पर किया जाना तथा वर्षात तक प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- संचित अवकाश कर्मचारियों के संचित अवकाश नकदीकरण की देयता के उपाबंधों को बीमांकन आधार पर किया जाना तथा वर्षात तक प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- व्यापार वारंटी/दावे जहां निकाय बिक्री के लिए माल का विनिर्माण/प्रसंस्करण करता है, वहां उस पर व्यापार वारंटी जोखिम की देयता होगी, जिसे उचित/युक्तिसंगत आधार पर दिया जाना अपेक्षित है।
- अन्य इन्हें विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है और इनमें डूबंत ऋण/अग्रिम का उपाबंध शामिल नहीं होगा जिन्हें संबद्ध आस्ति शीर्ष से घटाया जाएगा।

टिप्पणी-साधारण

यह उपाबंध राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए अथवा आस्तियों की मूल्यह्रास या मूल्य घटाव व्यवस्था करने के द्वारा रखे जाने के लिए या ज्ञात देयताओं के लिए व्यवस्था करने के द्वारा रखे जाने के लिए है जिसकी राशि को पर्याप्त दक्षता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

आस्तियां

अनुसूची-8 – नियत आस्तियां:

1 भूमि (क) पूर्ण स्वामित्व (ख) पट्टे वाली	जहां स्थावर संपत्ति मिश्रित लागत का भुगतान करके खरीदी/अर्जित की जाती हैं, वहां भूमि की लागत का उचित/विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाए तथा पृथक रूप से दर्शाया जाए। यदि पट्टा निरंतर चलने वाला न हो, तो पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के लिए शाश्वतता किया जाए।
2 भवन (क) स्वामित्व वाली भूमि (ख) पट्टे वाली भूमि	जहां तक व्यवहार्य हो, विभिन्न दरों पर मूल्यह्रास के उपाबंध के लिए कारखाने तथा कार्यालय भवनों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से रखा जाए। जो भवन/परिसर निकाय के कार्यकलापों के लिए पूरी तरह से/आंशिक रूप से प्रयोग किए जाने अपेक्षित हैं तथा इनमें "विनिधान संपत्तियां" शामिल नहीं होंगी।

<p>(ग) पूर्ण स्वामित्व वाले फ्लैट्स/परिसर</p> <p>(घ) जो भूमि निकाय की नहीं है, उस पर संरचना</p>	<p>पट्टे वाली भूमि के संरचना में, भूमि की ऋण-चुकौती की समान अवधि के साथ मूल्यहास किया जाना अपेक्षित है, यदि संरचना का जीवनकाल अपेक्षाकृत कम अवधि का न हो तो।</p> <p>भवन में सड़कें, पुल तथा पुलियाएं शामिल होंगी।</p>
<p>3. संयंत्र, मशीनें और उपस्कर</p>	<p>इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल होंगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> - मिट्टी हटाने वाली मशीनें - बॉयलर्स - भट्टियां - जेनरेटर्स - डाई/मोल्ड - अस्पतालों/क्लिनिकों, प्रसंस्करण यूनिटों, हाइड्रोलिक वर्क्स (पाइप लाइन सहित), हथियार कक्ष में विनिर्दिष्ट उद्योग/भवन संविदाकार जैसी सेवाओं के लिए प्रयुक्त मशीनें - निर्माण/प्रसंस्करण इत्यादि हेतु प्रयुक्त अन्य मदें। <p>खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत परिसंपत्ति रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
<p>4. वाहन</p>	<p>इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल होंगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ट्रैक्टर्स/ट्रैलर्स - ट्रक्स, जीप और वैन - मोटर कार - मोटर साइकिल, स्कूटर, तिपहिया एवं मोपेड - रिक्शा <p>खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत आस्तियों रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
<p>5. फर्नीचर, फिक्सचर्स</p>	<p>इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल होंगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> क) कैबिनेट/आल्मीरा/फाइलिंग रैक्स ख) वातानुकूलक/वातानुकूलन संयंत्र ग) वायु प्रशीतक घ) जल प्रशीतक ङ) मेज/कुर्सी/सोफा/कारपेट च) वुडन पार्टीशन/अस्थायी संरचना छ) वोल्टेज स्टेब्लाइजर्स, यूपीएस प्रणाली ज) अन्य मदें <p>सामग्री राशि के लिए खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत परिसंपत्ति रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
<p>6. कार्यालय उपस्कर</p>	<p>इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित जैसी मदें शामिल होंगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> क) टंकण मशीन ख) फोटोकॉपियर्स/डुप्लीकेटर्स

	<p>ग) फैक्स मशीन</p> <p>सामग्री राशि के लिए खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत आस्ति रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल्स	<p>कंप्यूटर्स, प्रिंटर एवं उनके पेरिफेरल्स जैसे कि फ्लॉपी, सी.डी. एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि इस शीर्ष के अंतर्गत मढ़ें होंगी।</p> <p>सामग्री राशि के लिए खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत आस्ति रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
8. विद्युत संस्थापना	<p>इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित जैसी मढ़ें शामिल होंगी:</p> <p>क) वैद्युत मशीनरी</p> <p>ख) विद्युत प्रकाश/पंखे</p> <p>ग) स्विच गीयर उपस्कर</p> <p>घ) ट्रांसउपाबंधर्स</p> <p>ङ) विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग</p> <p>उपर्युक्त मढ़ें के संबंध में, सामग्री राशि के लिए खाता-बहियों में पृथक लेखा-शीर्ष बनाए जाएं तथा नियत परिसंपत्ति रजिस्ट्रों के साथ इनका समाधान रखा जाए। उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत सूचना प्रकट किए जाने को प्रोत्साहित किया जाता है।</p>
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	<p>कुछ मामलों में, पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है अथवा एक स्थापित पुस्तकालय भी हो सकता है। ऐसे मामलों में, इन पुस्तकों को आस्तियों की एक पृथक श्रेणी के रूप में दर्शाया जाए। पुस्तकालय की पुस्तकों में पुस्तकें/जर्नल्स/सी.डी. रॉम में भंडारित सूचना शामिल होंगी।</p>
10. नलकूप एवं जलापूर्ति प्रणालियां	<p>नलकूप और जलापूर्ति प्रणाली को विशिष्ट श्रेणी के रूप में दर्शाया जाए।</p>
11. प्रगति पर पूंजीगत कार्य	<p>निर्माण के लिए निर्धारित संपत्तियों को इस शीर्ष में तब तक दर्शाया जाए जब तक कि वे अपने अपेक्षित प्रयोग के लिए तैयार न हो जाएं। हासिल की गई मशीनरी एवं उपकरण तथा उनकी लंबित संस्थापना को भी इसमें शामिल किया जाए।</p>

टिप्पणी-साधारण

- नियत आस्तियां वे आस्तियां होती हैं जिन्हें उत्पादन करने अथवा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाने के अभिप्राय से रखा जाता है और इन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए नहीं रखा जाता है।
- प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित को दर्शाया जाए:
 - वर्ष के प्रारंभ में लागत अथवा मूल्यांकन।
 - वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (हासिल करने तथा अनुदानों अर्जन, दोनों के ही द्वारा)।
 - वर्ष के दौरान कटौतियां (बिक्री, निपटान, बट्टा खाता आदि सहित)।
 - वर्षांत में कुल लागत/मूल्यांकन।
 - विगत वर्षांत तक मूल्यहास जोकि वर्ष के दौरान शामिल हो तथा वर्षांत तक कुल संचयी मूल्यहास।
 - वर्षांत पर आस्तियों का शुद्ध ब्लॉक।
- हासिल (अनुदान के द्वारा अथवा रियायती दरों पर प्राप्त सहित) अथवा निर्मित नियत आस्तियों के लेखांकन से संबंधित लेखा नीति को मूल्यहास/परिशोधन के लिए अंगीकृत विधि के साथ दर्शाया जाए।

4. जहां किसी भी परिसंपत्ति की राशि उसके पुनःमूल्यांकन के कारण बढ़े खाते में डाली गई हो, वहां उसके आधार को दर्शाया जाए और पुनःमूल्यांकन के पश्चात्, प्रथम तुलन पत्र के बाद प्रत्येक तुलन पत्र को पाँच वर्षों की अवधि के लिए संशोधन की तारीख तथा राशि के साथ पुनरीक्षण आंकड़ों के लिए दर्शाया जाए।
5. जहां विशिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान प्राप्त होते हैं तथा ये आस्ति की संपूर्ण अथवा वस्तुतः संपूर्ण लागत के समतुल्य होते हैं वहाँ निर्धारित आस्तियों को तुलन पत्र में नाममात्र मूल्य पर दर्शाया जाए।

वैकल्पिक रूप से, मूल्यहास योग्य नियत आस्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाए तथा ऐसी आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल के दौरान सुव्यवस्थित तथा तर्कसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में स्वीकृत किया जाए अर्थात् ऐसे अनुदानों को अवधि के दौरान आय में आवंटित किया जाए तथा उस अनुपात में किया जाए जिसमें मूल्यहास प्रभारित होता है। गैर-मूल्यहास आस्तियों से संबंधित अनुदानों को "पूँजीगत आरक्षित" में डाला जाए जब तक कि उसमें पूर्व-शर्तों को पूरा करना अपेक्षित न हो।

6. मूल्यहास

मूल्यहास दिया जाएगा ताकि मूल्यहास योग्य आस्ति की, इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यहास योग्य राशि प्रभारित की जा सके।

मूल्यहास योग्य आस्ति में टूट-फूट, खपत तथा मूल्य में अन्य हानियों, जोकि प्रयोग, समय के व्यतिक्रम अथवा प्रौद्योगिकी एवं बाजार प्रभारों के कारण अपक्षय से होती हैं, का पैमाना मूल्यहास होता है। इसमें आस्तियों का परिशोधन तथा अपशिष्ट आस्तियों की क्षीणता शामिल होती है जिनके उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए:

क) मूल्यहास योग्य आस्ति से अभिप्रेत है, जो-

- एक से अधिक लेखा अवधि के दौरान प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, तथा
- जिसका सीमित उपयोगी जीवनकाल है; और
- जो निकाय द्वारा माल का उत्पादन अथवा आपूर्ति के लिए अथवा अन्य को भाड़े पर सेवाएं देने के लिए, अथवा प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने के लिए रखी जाती है और उनके व्यापार/प्रचालन कार्यकलापों के सामान्य क्रम में विक्री के उद्देश्य से नहीं रखी जाती है।

ख) मूल्यहास योग्य आस्ति की मूल्यहास राशि का अर्थ है- इसकी मूल लागत अथवा वित्तीय विवरणियों में मूल लागत के लिए प्रतिस्थापित राशि जिसमें से अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है;

ग) उपयोगी जीवनकाल का अभिप्रेत है-

- वह अवधि जिसमें निकाय द्वारा मूल्यहास योग्य आस्ति का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, अथवा
- निकाय द्वारा आस्ति के उपयोग से प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित उत्पादन अथवा समतुल्य निकायों की संख्या।

अनुसूची-9 – विनिधान - निर्धारित/विन्यास निधि से:

- सरकारी प्रतिभूतियां इसमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तथा सरकारी खजाने के बिल शामिल होते हैं। इन प्रतिभूतियों को लागत/खाता मूल्य पर दर्शाया जाए। तथापि, ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को तुलन पत्र की टिप्पणियों में दिया जाए।
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों, जोकि अनुमोदित प्रतिभूतियां (जैसे कि न्यासी प्रतिभूतियां) मानी गई हों, को यहाँ शामिल किया जाए।
- शेयर कंपनियों तथा निगमों के शेयरों में किया गया विनिधान, जो मद 2 में शामिल नहीं है, यहाँ शामिल किया जाए।
- डिबेंचर एवं बंधपत्र कंपनियों तथा निगमों के डिबेंचर एवं बंधपत्र में किया गया विनिधान, जो मद 2 में शामिल नहीं है, यहाँ शामिल किया जाए।
- सहायक कंपनियां तथा/अथवा संयुक्त उपक्रम अनुपंगी कंपनियों/संबद्ध असित्तव में किया विनिधान यहाँ शामिल किया जाए। यदि कोई असित्तव प्रबंधन/शासी निकाय पर नियंत्रण रखता है, चाहे उसने उसमें वित्तीय विनिधान किया हो या नहीं, तो वह सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उपक्रम माना जाएगा। यदि किसी निकाय की कायिक का 25% से ज्यादा भाग वर्ष के प्रारंभ में निकाय द्वारा रखा

- जाता है तो इस वर्गीकरण के उद्देश्य से उस निकाय को सहायक कंपनी माना जाएगा।
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है) वाणिज्यिक कागज-पत्र, जैसे कि अवशिष्ट विनिधान, यदि कोई हो तो, पारस्परिक निधि तथा अन्य लिखतों में विनिधान (विनिर्दिष्ट किया जाना है), जो शेयर/डिबेंचर/बंधपत्र आदि की प्रकृति के नहीं हैं, इसमें शामिल हैं। आस्ति में विनिधान, यदि कोई हो तो, भी इसमें शामिल किया जाए।

टिप्पणियां - साधारण

1. विनिधानों का समग्र रूप से सकल मूल्य, समग्र रूप से मूल्यहास तथा शुद्ध मूल्य पृथक रूप से दर्शाया जाए। मूल्यांकन तथा मूल्य में कमी का निर्धारण करने के लिए, अनुमोदित प्रतिभूतियों (उपयुक्त 1 एवं 2 में शामिल) को "स्थायी" तथा "वर्तमान" श्रेणियों में विभाजित किया जाना अपेक्षित है।
2. क) विनिधान "दीर्घकालीन" या फिर "स्थायी" या फिर "चालू" हो सकता है।
ख) "चालू विनिधान" से अभिप्रेत है जो वह विनिधान जो अपनी प्रकृति के अनुसार ही, तुरंत वसूली योग्य होता है और इसे किए जाने की तिथि से एक वर्ष से ज्यादा समय तक रखा जाना अपेक्षित नहीं होता है। ऐसे विनिधान को लागत अथवा उनके उचित मूल्य से कम पर दर्शाया जाए, जिसे अलग-अलग विनिधान आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा कमियों के लिए व्यवस्था की जाएगी जबकि मूल्य वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
ग) दीर्घकालीन विनिधान उन विनिधानों को कहा जाएगा जोकि वर्तमान विनिधानों से इतर होते हैं और इन्हें पूंजीगत मूल्य वृद्धि तथा आय के उद्देश्य से रखा जाना अपेक्षित होता है। ऐसे विनिधान लागत पर किए जाते हैं तथा जब कभी प्रत्येक विनिधान में की जा रही उनकी मूल्य कमी में कमी, अस्थायी से इतर होने पर घटाएं जाएंगे।
3. निर्धारित/विन्यास निधियों में किए गए विनिधानों को पृथक रूप से दर्शाया जाए।
4. यदि संपत्ति में विनिधान किया गया है तो उसे निर्धारित आस्तियों के मामले की तरह ही, समान ढंग से मूल्यहास घटाकर लागत पर दर्शाया जाएगा।
5. निकाय दीर्घकालीन तथा विधन, दोनों विनिधानों के संबंध में विनिधान, उनकी लागत, मूल्यहास तथा अग्रणीत मूल्य से संबंधित लेखा नीति दर्शाएगा।
6. स्थायी विनिधानों को हासिल करने में दिया गया कोई भी प्रीमियम उनकी परिपक्वता की तारीख तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किया जाएगा। हासिल करने पर मिली छूट को परिशोधित नहीं किया जाएगा।
7. परिपक्व विनिधान, जो वसूल न किया गया हो, पृथक रूप से दर्शाया जाए।

अनुसूची-10 - विनिधान - अन्य:

1. सरकारी प्रतिभूतियां इसमें केंद्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां एवं सरकारी खजाने के बिल शामिल होते हैं। इन प्रतिभूतियों को लागत/खाता मूल्य पर दर्शाया जाए। तथापि, ऐसे मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को तुलन पत्र की टिप्पणियों में दिया जाए।
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों, जोकि अनुमोदित प्रतिभूतियां (जैसे कि न्यासी प्रतिभूतियां) मानी गई हों, को यहाँ शामिल किया जाए।
3. शेयर कंपनियों तथा निगमों के शेयरों में किया गया विनिधान, जो मद 2 में शामिल नहीं है, यहाँ शामिल किया जाए।
4. डिबेंचर और बंधपत्र कंपनियों तथा निगमों के डिबेंचर एवं बंधपत्र में किया गया विनिधान, जो मद 2 में शामिल नहीं है, यहाँ शामिल किया जाए।
5. सहायक कंपनियां तथा/अथवा संयुक्त उपक्रम अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध असितत्वों में किया विनिधान यहाँ शामिल किया जाए। यदि कोई निकाय प्रबंधन/शासी निकाय पर नियंत्रण रखता है, चाहे उसने उसमें वित्तीय विनिधान किया गया हो या नहीं, तो वह अनुषंगी कंपनी अथवा संयुक्त उपक्रम माना जाएगा।
यदि किसी निकाय की कायिक का 25% से ज्यादा भाग वर्ष के प्रारंभ में उसके द्वारा रखा जाता है तो इस वर्गीकरण के प्रयोजन से उस निकाय को सहायक कंपनी माना जाएगा।

6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है) इसमें वाणिज्यिक कागजात, जैसे कि अवशिष्ट विनिधान, यदि कोई हो तो, पारस्परिक निधि तथा अन्य लिखतों में विनिधान (विनिर्दिष्ट किया जाना है), जो शेयर/डिबेंचर/बंधपत्र आदि की प्रकृति के नहीं हैं, इसमें शामिल हैं। संपत्ति में विनिधान, यदि कोई हो तो, भी इसमें शामिल किया जाए।

टिप्पणियां-साधारण

1. विनिधानों का समग्र रूप से सकल मूल्य, समग्र रूप से मूल्यहास तथा शुद्ध मूल्य पृथक रूप से दर्शाया जाए। मूल्यांकन तथा मूल्य में कमी का निर्धारण करने के लिए, अनुमोदित प्रतिभूतियों (उपयुक्त 1 एवं 2 में शामिल) को "स्थायी" तथा "चालू" श्रेणियों में विभाजित किया जाना अपेक्षित है।
2. क) विनिधान "दीर्घकालीन" या फिर "स्थायी" या फिर "वर्तमान" हो सकता है।
ख) "चालू विनिधान" से अभिप्रेत है वह विनिधान जो अपनी प्रकृति के अनुसार ही, तुरंत वसूली योग्य होता है और इसे किए जाने की तिथि से एक वर्ष से ज्यादा समय तक रखा जाना अपेक्षित नहीं होता है। ऐसे विनिधान को लागत अथवा उनके उचित मूल्य से कम पर दर्शाया जाए, जिसे अलग-अलग विनिधान आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा कमियों के लिए व्यवस्था की जाएगी जबकि मूल्य वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
ग) दीर्घकालीन विनिधान उन्हें कहा जाएगा जोकि वर्तमान विनिधानों से इतर होते हैं और इन्हें पूंजीगत मूल्य वृद्धि तथा आय के उद्देश्य से रखा जाना अपेक्षित होता है। ऐसे विनिधान लागत पर किए जाते हैं तथा जब कभी प्रत्येक विनिधान में की जा रही उनकी मूल्य कमी में कमी, अस्थायी से इतर होने पर घटाएं जाएंगे।
3. निर्धारित/स्थायी निधियों में किए गए विनिधानों को अनुसूची 9 पर दर्शाया गया है।
4. यदि संपत्ति में विनिधान किया गया है तो उसे निर्धारित आस्तियों के मामले की तरह ही, समान ढंग से मूल्यहास घटाकर लागत पर दर्शाया जाएगा।
5. निकाय दीर्घकालीन तथा मौजूदा, दोनों विनिधानों के संबंध में विनिधान, उनकी लागत, मूल्यहास तथा अग्रणीत मूल्य से संबंधित लेखा नीति दर्शाएगा।
6. स्थायी विनिधानों को हासिल करने में दिया गया कोई भी प्रीमियम उनकी परिपक्वता की तारीख तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किया जाएगा। हासिल करने पर मिली छूट को परिशोधित नहीं किया जाएगा।
7. परिपक्व विनिधान, जो वसूल न किया गया हो, पृथक रूप से दर्शाया जाए।

अनुसूची-11 – चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि

क. चालू आस्तियां:

1. तालिकाएं:

क) भंडार एवं फालूत पुर्जे	वस्तु तालिकाओं में व्यापार की साधारण प्रक्रिया में बिक्री अथवा ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में, अथवा माल के उत्पादन अथवा बिक्री की सेवाओं के लिए खपत हेतु, जिसमें मशीनरी के कल-पुर्जों से इतर अनुरक्षण, आपूर्तियां एवं उपभोज्य शामिल हैं, के लिए रखी गई मूर्त संपत्ति सम्मिलित है। वस्तु सूचियों के मूल्यांकन का आधार दर्शाया जाए।
ख) खुले औजार	
ग) साज-सामान	
- तैयार माल	तैयार माल में बिक्री गया/तैयार किया गया और निकाय के सभी स्थानों पर मौजूद
- चल रहा कार्य	माल शामिल होगा।
- कच्चा माल	कच्चे माल में बिक्री के लिए माल के उत्पादन कार्य में प्रयुक्त अथवा खपाए गए पुर्जे अथवा संघटक भी सम्मिलित होंगे।
2. विविध ऋणी:

क) छह मास से ज्यादा अवधि के बकाया ऋण	ऋणियों में वे लोग शामिल होंगे जिनसे बचे गए माल अथवा दी गई सेवाओं अथवा संविदात्मक दायित्वों के लिए राशि देय होंगी।
--------------------------------------	---

ख) अन्य वसूली लायक माने जाने वाले ऋणों को तथा उन ऋणों को, जिनकी वसूली संदेहास्पद है, पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए कोई उपाबंध किया गया हो तो उसे संदेहास्पद माने गए ऋण की राशि में से घटाव के रूप में दर्शाया जाए।

3. रोकड़ शेष: (चेक/ड्राफ्ट्स तथा अग्रदाय सहित)

4. बैंक शेष: निर्धारित/विन्यास निधियों की बैंक जमा के रूप में रखी राशियों को पृथक-पृथक दर्शाया जाए।

क) अनुसूचित बैंकों में

- चालू खाते में

- जमा खाते में

(न्यूनतम जमा राशि सहित)

- बचत खाते में

जहां कोई जमा खाता बंधक रखा जाता है अथवा प्रतिभूति के रूप में प्रभारित है अथवा ऋणग्रस्त है तो तथ्य को दर्शाया जाए।

अतिदेय/परिपक्व निक्षेप को पृथक-पृथक दर्शाया जाए।

ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में

- चालू खाते में

- जमा खाते में

- बचत खाते में

5. डाक घर – बचत खाते:

ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां:

1. ऋण:

सही और वसूली योग्य माने गए ऋणों को दर्शाया जाए। यदि वो राशि संदेहास्पद हो तो इसे प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत बताया जाए तथा यदि कोई उपाबंध रखा गया हो तो उसे उसमें से घटाने वाले के रूप में दर्शाया जाए।

कर्मचारी वर्ग के ऋणों के ब्याज पर उपार्जित ब्याज इस तथ्य के बावजूद लेखों में लिया जाए कि ब्याज की वास्तविक वसूलियां मूलधन की चुकौती के बाद शुरू होंगी।

क) कर्मचारीवृंद

ऐसे निकायों को दिए गए अपरिवर्तनीय अनुदान/अनुषंगी/संमोदान को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि ब्याज बनता है तो वर्षांत तक बने ब्याज की राशि को समायोजित किया जाए।

ख) उस निकाय के समतुल्य

कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे

अन्य निकाय

ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

2. नकद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां:

क) पूंजीगत लेखा में

ख) पूर्व भुगतान

ग) अन्य

पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के अग्रिमों को इस उप-शीर्ष में दर्शाया जाए।

इसमें पूर्व प्रदत्त व्यय शामिल है।

इसमें ऋणियों से इतर अन्य से प्राप्ति योग्य शामिल होगा।

3. उद्भूत आय:

क) निर्धारित/विन्यास
निधियों से किए विनिधान
से

वर्षांत तक "आय उपार्जित एवं देय" और "आय उपार्जित किंतु देय नहीं", दोनों को ही इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाए।

ख) विनिधान से – अन्य
ग) ऋणों एवं अग्रिमों से
घ) अन्य (वसूली न की गई देय
आय सहित-रूपये)

निर्धारित/विन्यास निधियों से किए विनिधान और अन्य विनिधान की आय को पृथक-पृथक दर्शाया जाए।

यदि वसूली अथवा अंतिम संग्रह अनिश्चित हो तो आय न माना जाए और यदि माना गया हो तो उनका उपाबंध किया जाए।

लाभांश को उनकी घोषणा की तिथि (यों) के आधार पर माना जाए।

उपार्जित, देय परंतु वसूली न की गई आय को पृथक-पृथक दर्शाया जाए।

4. प्राप्ति योग्य दावे:

जो दावे सही और वसूली योग्य समझे जाएं, केवल उन्हें ही शामिल किया जाए।

अनुसूची-12 – बिक्री/सेवाओं से आय

बिक्री से आय:

1. बिक्री से आय

क) तैयार माल की बिक्री

बिक्री में वह समग्र राशि शामिल होती है जो बिक्री से प्राप्त होती है। इसमें शुद्ध व्यापार छूट, बट्टे एवं रिबेट को दर्शाया जाए।

ख) कच्चे माल की बिक्री

जब स्वामित्व का पूरा जोखिम और प्राप्ति, माल के भुगतान के समय अथवा सुपुर्दगी पर ध्यान दिए बिना, विक्रेता से क्रेता को अंतरित होती हैं तभी संपन्न होती हैं।

निर्यात बिक्री को पृथक रूप से दर्शाया जाए।

ग) कबाड़ की बिक्री

2. सेवाओं से आय

आय को सकल आंकड़ों में दिखाया जाए तथा स्रोत पर काटे गए कर को पृथक रूप से दर्शाया जाए।

क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार

अन्य निकायों के माल/सामग्री के प्रसंस्करण/निर्माण के लिए वसूली योग्य श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभारों को इस उप-शीर्ष में दर्शाया जाए।

ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं

निकाय द्वारा व्यावसायिक सेवाएं देने के परामर्श प्रभार एवं शुल्क को इस उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाए।

- ग) अभिकरण की कमीशन एवं दलाली जहां निकाय अन्य के लिए माल की आपूर्ति/सेवाओं का प्रबंध करने के लिए दलाल अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, अर्थात् सिद्धांत-दर-सिद्धांत आधार पर कार्य किए बिना, तो अर्जित कमीशन और दलाली को इस उप-शीर्ष में दर्शाया जाए।
- घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति जहां कंपनी उपकरण या संपत्ति आदि के लिए अनुरक्षण वचनबद्ध करती है इस उपशीर्ष के अंतर्गत इस स्रोत से वर्ष के अंत तक अर्जित की गई आय शामिल की जाएगी।
- ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अनुसूची 13 – अनुदान/अनुषंगी:

(अशोधय अनुदान एवं प्राप्त अनुषंगी)

- 1) केंद्र सरकार अशोधय आधार पर कंपनी के सामान्य प्रयोज्य और उद्देश्यों के लिए अनुदान अनुषंगी अथवा अन्य इसी प्रकार की सहायता या पूर्व की अवधियों में हुआ व्यय इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
- 2) राज्य सरकार(सरकारें)
- 3) सरकारी अभिकरण ये अनुदान आदि इनके उपयोग के अनुसार बिना किसी शर्त के हैं और गैर-वापसी राशियों की प्रकृति के हैं जो कि आय के लिए उपयुक्त हैं।
- 4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय सकल प्राप्तियां प्रत्येक उप-शीर्ष के लिए दर्शायी जाएंगी, और अन्य संस्थाओं/संगठनों के व्यय के रूप में अशोधय आधार पर दी जाने वाली अनुदान/आर्थिक सहायता अनुसूची 22 में विचार की जाएंगी।
- 5) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
- 6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अनुसूची 14 – फीस/अंशदान:

- 1) प्रवेश फीस प्रत्येक मद पर लेखा नीतियां प्रकट की जाएंगी।
- 2) वार्षिक फीस/अंशदान प्रवेश शुल्क, अंशदान आदि से जैसे शुल्कों के मामले में पूंजीगत प्राप्तियों के प्रकार के होते हैं। ऐसी राशि संग्रह/पूंजीगत निधि में जानी चाहिए। अन्यथा ऐसे फीस इस अनुसूची में शामिल होंगे।
- 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम फीस
- 4) परामर्शी फीस: कंपनी के बड़े क्रियाकलापों के मामले संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित करना और/या परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है ऐसी आय अनुसूची 12 का भाग होंगी।
- 5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) सकल प्राप्तियां यहां दर्शायी जानी चाहिए। सेमिनार/कार्यशालाओं, परामर्शी आदि पर किया गया व्यय अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' में दर्शायी जानी चाहिए।

अनुसूची 15 – विनिधान से आय:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ब्याज | 1. विनिधानों से आय सकल आकड़ों में दर्शायी जाएगी और स्रोत पर कटौती अलग से बताए जाएगी। |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | 2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज में निम्न शामिल होंगे।
क) ब्याज की अंतिम तिथि तक लाभांश दर पर अर्जित ब्याज अर्थात् प्रोद्भूत ब्याज एवं देय; और
ख) लाभांश दर पर वर्ष के अंत तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज |
| ख) अन्य बंधपत्र/डिबेंचर्स | 3. बंधपत्रों और डिबेंचर्स पर आय में छूट पर जारी बंधपत्रों पर वर्ष के अंत तक प्राप्त छूट, जारी किए जाने की शर्तों पर आधारित उसी मूल्य पर अथवा किश्त पर चुकाए जाने वाले बंधपत्र । |
| 2) लाभांश: | 4. लाभांश उसके लिए घोषित तिथियों के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे अर्थात् जब कंपनी को इसे प्राप्त करने का अधिकार हो। |
| क) शेयरों पर | |
| ख) पारस्परिक निधि प्रतिभूति पर | |
| 3) किराया | 5. किराया संपत्तियों पर विनिधान पर आय यदि कोई है के रूप में दर्शाया जाएगा। |
| 4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | 6. अतिदेय/परिपक्व विनिधानों पर दावा किया गया ब्याज तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इसे स्वीकार किए जाने के लिए पूर्व शर्तें पूरी न हो।
7. विनिधानों पर आय के संबंध में अंतर किया जाएगा।
क) कंपनियों के स्वामित्व में; और
ख) जिनके पास निर्धारित/बंदोबस्ती फंड हो |
| | 8. वर्ष के अंत में निर्धारित/विन्यास निधियों से विनिधान पर आय का कुल अनुसूची 13 के माध्यम से निधि को अंतरित किया जाना चाहिए। |

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) रायल्टी से आय | प्रत्येक मद पर लेखा नीतियां प्रकट की जाएंगी। |
| 2) प्रकाशनों से आय | कंपनी के बड़े क्रियाकलापों के मामलों में किताबों, जरनल, दस्तावेजों आदि का प्रकाशन करना है। ऐसी आय अनुसूची 12 का भाग होंगी। |
| 3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | सकल प्राप्तियां यहा दर्शाई जाएं। प्रकाशन आदि पर हुए व्यय को अनुसूची 21 में 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में दर्शाया जाएगा। |

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज:

1. सांविधिक जमा पर:

- क) अनुसूचित बैंको के साथ
- ख) गैर-अनुसूचित बैंको के साथ
- ग) संस्थाओं के साथ
- घ) अन्य

1. अर्जित आय पर ब्याज सकल आंकड़ों में दर्शायी जाएगी और स्रोत पर कटौती अलग से की जाए।

2. बचत खातों पर :

- क) अनुसूचित बैंको के साथ
- ख) गैर-अनुसूचित बैंको के साथ
- ग) डाकघर बचत खाते
- घ) अन्य

2. आय के संबंध में अंतर किया जाएगा;

- क) कंपनी के स्वामित्व वाली आस्तियों पर; और
- ख) जिनक पास निर्धारित/विन्यास निधि हो;

3. उधार पर:

- क) कर्मचारी/कर्मचारीवृंद
- ख) अन्य

4. देनदारों एवं अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज

अनुसूची 18 – अन्य आय:

1. आस्तियों की बिक्री/व्यय पर लाभ

- क) स्वामित्व वाली आस्तियां
- ख) अनुदान के अलावा अर्जित या निःशुल्क प्राप्त आस्तियां

बिक्री प्राप्ति/वसूली आस्तियों की अंतिम बोली का निवल। यदि शेष है तो इस उप-शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

2. वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन

दावा किए गए और वर्ष के अंत तक वसूल न किए गए निर्यात प्रोत्साहन आय में शामिल किए जाएंगे।

3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए शुल्क

प्रकीर्ण आय में शामिल की गई मदों की राशि के अलग से प्रकट की जाएगी।

4. विविध आय

अनुसूची 19- तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं कार्य प्रगति पर:

- क) अंतिम स्टॉक
- तैयार माल
- कार्य प्रगति पर
- ख) कमी: आरंभिक स्टॉक
- तैयार माल
- कार्य प्रगति पर

स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में लेखा घोषित की जानी चाहिए।

अनुसूची 20- स्थापन संबंधी व्यय:

- क) वेतन और मजदूरी
ख) भत्ते और बोनस
- ग) भविष्य निधि का अंशदान
घ) अन्य निधियों (विनिर्दिष्ट करें) का अंशदान
ङ) कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमांत लाभ पर व्यय
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारीवृंद की बाबत सहित प्रत्येक शीर्ष का सकल व्यय प्रकट किया जाएगा।

कंपनी के वैधानिक दायित्व जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवा निवृत्ति लाभ आदि सही तरीके से और मद-वार प्रकट किए जाएंगे।

वसूलियों जैसे अर्थदण्ड, जुर्माना आदि के मामले में इनको व्यय शीर्ष के लिए कटौती नहीं की जाएगी किंतु अनुसूची 18 में अन्य आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी - साधारण

पूर्व अवधि मदे:

पूर्व अवधि और असाधारण मदे अलग से प्रकट की जाएंगी ताकि उस वर्ष के लिए उनके प्रभाव ज्ञात हो सकें।

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

- क) खरीद*
ख) मजदूरी और प्रक्रिया व्यय
ग) माल ढुलाई और आवज ढुलाई
घ) विद्युत और ऊर्जा
ङ) जल प्रभार
च) बीमा
छ) मरम्मत और अनुरक्षण
ज) उत्पाद शुल्क
झ) किराया, दर और कर
ञ) वाहन चालन और अनुरक्षण
ट) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार
ठ) छपाई और लेखन सामग्री
ड) यात्रा और वाहन व्यय:
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय
ण) अंशदान व्यय

प्रत्येक शीर्ष के लिए सकल व्यय को प्रकट किया जाना चाहिए।

वसूलियों जैसे किराया वसूलियां, वसूल किया गया भाड़ा प्रभार, अर्थदण्ड, जुर्माना, आपूर्तिकर्ताओं से नुकसान आदि के मामले में, इस प्रकार की वसूलियों की राशि की कटौती व्यय शीर्ष से नहीं की जाएगी किंतु अनुसूची 16 'अन्य आय' के अंतर्गत शामिल की जाएगी।

पूर्व अवधि और असाधारण मदों को अलग से प्रकट किया जाएगा ताकि वर्ष के लिए निवल व्यय पर उनका प्रभाव ज्ञात हो सके।

शीर्षों की सूची विस्तृत नहीं किंतु व्याख्यात्मक है जहां तक संभव हो केवल इन्हीं लेखा शीर्षों का उपयोग तब तक नहीं किया जाए जब तक इन शीर्षों में किसी को जोड़ने अथवा हटाने की मजदूरी न हो।

* व्यापार में विनिर्माण और तैयार माल के लिए कच्चा माल और भंडार के बीच खरीद को पृथक किया जाना चाहिए/ विनिर्माण कंपनियों के मामले में

- त) शुल्क पर व्यय कच्चे माल की खपत और भंडारण खरीद के स्थान पर दिया जा सकता है।
- थ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक
- द) अतिथ्य व्यय
- ध) कारोबार व्यय
- न) अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम का उपाबंध
- प) बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य इतिशेष
- फ) पैकिंग व्यय
- ब) भाड़ा और प्रेषण व्यय
- भ) वितरण व्यय
- म) विज्ञापन और प्रचार
- य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अनुसूची 22- अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय

- क) संस्थानों/संगठनों को अनुदान संस्थानों/संगठनों को अशोध्य आधार पर कंपनी के साधारण प्रयोगों और प्रयोजनों के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता और इसी प्रकार की सहायताओं को इस अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
- ख) संस्थानों/संगठनों को आर्थिक सहायता संस्थानों/संगठनों के नाम राशि के साथ उनके क्रिया कलाप प्रत्येक मामले में प्रकट किए जाएं।

अनुदान आदि उनके उपयोग के अनुसार संबद्ध किसी शर्तों सहित और शर्तों के बिना है और गैर-वापसी राशि प्रकृति के हैं जो कि व्यय के रूप में उचित हैं।

अनुसूची 13 में प्रत्येक उप शीर्ष के सामने दर्शायी गई सकल प्राप्ति इन अशोध्य आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों के बदले में अनुदानों/आर्थिक सहायता का स्रोत हो सकती हैं।

प्रत्येक शीर्ष के लिए सकल व्यय को प्रकट किया जाएगा।

अनुसूची 23- ब्याज:

- क) निर्धारित ऋणों पर 1. ब्याज में वचनबद्ध प्रभार शामिल होगा।
- ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) 2. निर्धारित ऋण वे ऋण हैं जो निश्चित अवधि जैसे आवधिक ऋणों के लिए होते हैं
- ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 3. अनुसूची 23 के अनुसार ब्याज के तौर पर व्यय कम से कम प्रकट करने की आवश्यकता है। कंपनी को अनुसूची 4 और 5 के शीर्षों के अनुरूप ऋण के स्रोतों और उधार के आधार पर विस्तारित ब्याज को प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां:**क. आकस्मिक देयताएं**

1. कंपनी के विरुद्ध दावे के ऋणों के रूप में नहीं माना गया ---
2. आंशक रूप से भुगतान किए गए विनिधान के लिए देनदारियां आंशक रूप से भुगतान किए गए शेयरों डिबेंचरों पर दायित्व को बताया जाना आवश्यक है।
3. आगे विनिमय संविदाओं के बकाये लेखे वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों पर शेष अग्रेषित विनिमय संविदाओं की राशि बताई जाएगी।
4. गारंटी और शेष साख पत्र: वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा या उसकी ओर से बकाए साख पत्रों की गारंटियों की देयताएं और उधार शेष का पत्र प्रकट किए जाने हैं।
5. छूट प्राप्त बिल वर्ष के अंत में शेष छूट प्राप्त बिल प्रकट किए जाने हैं।
6. अन्य मदे जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है यहां शामिल विवादित और अन्य मांगे/दावे, पुनः छूट प्राप्त बिलों अथवा वचनबद्धताएं संविदाओं और अन्य मद के लिए कंपनियां उत्तरदायी हैं।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. उपलब्ध नहीं कराई गई पूंजीगत लेखे पर वचनबद्धताएं इसमें आस्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए किए जाने वाले भुगतान के लिए उस धनराशि की संविदाएं/व्यवस्थाएं होंगी। यह राशि निवल अग्रिम प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।
2. अन्य टिप्पणियां

अनुसूची-4**प्राप्तियां और भुगतान के विवरण का उपाबंध****[नियम 4(2) देखें]**

कंपनी का नाम : गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

अवधि/वर्ष अंत के लिए प्राप्तियां और भुगतान _____

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रारंभिक राशि क) नकद ख) बैंक में जमा राशि i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाता			1. व्यय क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप) ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)		

<p>II. प्राप्त किए गए अनुदान</p> <p>क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोतों (विवरण) से (पूजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाए जाने चाहिए)</p> <p>III. निम्न से विनिधान पर आय</p> <p>क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां ख) स्वयं की निधियां (अन्य विनिधान)</p> <p>IV. प्राप्त ब्याज</p> <p>क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि</p> <p>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>VI. उधार ली गई राशि</p> <p>VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)</p>		<p>II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए किया गया भुगतान (निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के साथ दर्शाया जाना चाहिए)</p> <p>III. किया गया विनिधान और जमा</p> <p>क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से ख) स्वयं की निधियां (विनिधान अन्य) में से</p> <p>IV. निर्धारित आस्तियों पर व्यय और पूजीगत कार्य प्रगति पर</p> <p>क) निर्धारित आस्तियों की खरीद ख) पूजीगत कार्य पर व्यय प्रगति पर</p> <p>V. अतिरक्त धन/ऋणों की वापसी</p> <p>क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) अन्य निधि प्रदायकों को</p> <p>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</p> <p>VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>VIII. रोकड़ बाकी</p> <p>क) नकद ख) बैंक में जमा राशि i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाता</p>	
कुल		कुल	

[फा. सं. 47/2/2010-आर एंड आर(i)]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2016

G.S.R. 316 (E).—Whereas the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories was constituted by the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.643(E) dated the 2nd May, 2005;

And whereas, after the State Government of Goa agreed to join the said Joint Commission and authorised the Central Government in this behalf under section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.1271(E), dated the 30th May, 2008 has facilitated the State of Goa to join the said Joint Commission;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of powers conferred by section 104 and clause (h) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

- (a) “Accounts Officer” means an Officer responsible for maintenance of accounts and preparation of annual accounts as nominated by the Chairperson of the Joint Commission;
- (b) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (c) “Audit Officer” means the Comptroller and Auditor-General of India or any Officer appointed by him in connection with the audit of accounts of the Joint Commission;
- (d) “Chairperson” means the Chairperson of the Joint Commission;
- (e) “financial year” means a period not exceeding twelve calendar months commencing on the 1st day of April of a year and ending on the 31st day of March of the successive year;
- (f) “Form” means a Form annexed to these rules;
- (g) “Joint Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories constituted under section 83 of the Act;
- (h) “Member” means a Member of the Joint Commission;
- (i) “Participating State” means the State of Goa;
- (j) “Participating Union Territory” means any Union Territory, except Delhi;
- (k) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;
- (l) “Secretary” means the Secretary of the Joint Commission.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Accounts of Commission.—(1) The Joint Commission shall prepare the annual statement of accounts for every financial year and the Secretary of the Joint Commission may authorise an Officer of the Joint Commission to prepare the account on his behalf.

(2) The Secretary of the Joint Commission shall supervise the maintenance of the accounts of the Joint Commission, the compilation of financial statement and return, and shall ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Joint Commission required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Joint Commission are placed at the disposal of that Officer.

(3) The Secretary of the Joint Commission shall submit the annual statement of accounts duly approved by the Joint Commission and certified by the Audit Officer, to the Central Government and the participating State Government by such date as may be specified by the Central Government.

(4) The Joint Commission shall prepare the following accounts, namely:-

- (a) receipt and payment account;
- (b) income and expenditure account;
- (c) balance sheet.

(5) The Secretary of the Joint Commission shall be the authorised signatory to sign and authenticate the receipt and payment accounts, the income and expenditure accounts and the balance sheet.

(6) The Secretary of the Joint Commission shall also submit the annual statement of accounts to the Audit Officer on or before the 30th day of June following the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Joint Commission and submit his report thereon.

(7) Save as otherwise provided, the Joint Commission shall submit the statement of accounts in the Forms annexed to these rules for the period from the date of its constitution till the 31st March, 2015 to the Audit Officer within three months from the date of publication of these rules in the Official Gazette.

(8) The Joint Commission shall, on receipt of the report of the audit, correct any defect or irregularity mentioned therein and give a report to the Central Government and the Audit Officer about the action taken by it thereon.

4. Form and time of preparation of annual statement of accounts of Commission.—(1) The Joint Commission shall prepare the annual statement of accounts for every financial year which shall comprise of the following, namely:-

- (i) balance sheet;
- (ii) income and expenditure account;
- (iii) schedules to the above financial statements;
- (iv) instructions and accounting principles;
- (v) notes and instructions for the Schedules; and
- (vi) statement of receipts and payments.

(2) The annual statement of accounts shall be prepared as per the Forms specified in Schedule-I and Schedule-IV, in accordance with the Instructions and Accounting Principles and the Notes and Instructions specified in the Schedule-II and Schedule-III respectively, as devised by the Committee of Experts on Uniform Format of Accounts for Central autonomous bodies appointed on the recommendation of the Parliamentary Committee on Papers Laid on the Table.

(3) The annual statement of accounts shall be finalised by the Joint Commission within three months following the financial year to which the accounts relate.

5. Approval of annual statement of accounts.—(1) Within three months after the end of the financial year, the Accounts Officer shall prepare the annual statement of accounts and the Secretary shall submit the same to the Joint Commission for its approval and after the approval of the Joint Commission, the annual statement of accounts shall be forwarded to the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him for audit.

(2) The accounts of the Joint Commission shall be authenticated by the Chairperson, one Member dealing with the Finance and the Secretary of the Joint Commission.

6. Preservation of records of accounts, etc.—(1) The Joint Commission shall preserve the records of balance sheet, income and expenditure accounts and receipts and payments account prepared under these rules for a minimum period of ten years.

(3) The books of accounts and other relevant records shall be kept in the office of the Joint Commission and it shall be the responsibility of the Accounts Officer to ensure that the books of accounts and other relevant records are properly maintained and securely preserved in safe custody and produced to Audit as and when required.

7. Authorised signatory.— The balance sheet, income and expenditure accounts and receipts and payments account shall be signed by the Director (Administration) or any other Officer authorised by the Joint Commission.

Schedule - I**Form A**

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**BALANCE SHEET AS AT _____****(Amount-Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
Corpus/Capital Fund	1		
Reserves and Surplus	2		
Earmarked/ Endowment Funds	3		
Secured Loans and Borrowings	4		
Unsecured Loans and Borrowings	5		
Deferred Credit Liabilities	6		
Current Liabilities and Provisions	7		
TOTAL			
<u>ASSETS</u>			
Fixed assets	8		
Investments – from earmarked/endowment funds	9		
Investment -others	10		
Current Assets, Loans and Advances, etc.	11		
Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL			
Significant accounting policies	24		
Contingent liabilities and Notes on Accounts	25		

Form B

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----****(Amount – Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>INCOME</u>			
Income from Sale / Services	12		
Grants/ Subsidies	13		
Fees/ Subscriptions	14		
Income from Investments (income on invest. from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15		
Income from royalty, publication etc.	16		

Interest earned	17		
Other income	18		
Increase/ (decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19		
TOTAL(A)			
<u>EXPENDITURE</u>			
Establishment Expenses	20		
Other Administrative Expenses etc.	21		
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		
Interest	23		
Depreciation (net total at the year-end corresponding to Schedule 8)			
TOTAL(B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance being surplus/ (deficit) carried to corpus/capital fund			
Significant accounting policies	24		
Contingent liabilities and Notes on Accounts	25		

Form C

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

(AMOUNT—Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 1- CORPUS/CAPTIAL FUND:</u>				
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ expenditure) transferred from the				
Income and Expenditure Account				
<u>BALANCE AS THE YEAR -END</u>				

Form D

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS:</u>				
1. Capital Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
3. Special Reserves:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
4. General Reserve:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
<u>TOTAL</u>				

Form E

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – R.)

	FUND – WISE BREAK UP TOTALS				TOTALS	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 3-EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>						
a) Opening balance of the funds						
b) Additions to the funds:						
i. Donations/grants						
ii. Income from investments made on account of funds						
iii. Other additions (specify nature)						
TOTAL (a+b)						

c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds i. Capital Expenditure - fixed assets - others Total ii. Revenue Expenditure - salaries, wages and allowances etc. - rent - other administrative expenses Total						
TOTAL (c)						
NET BALANCE AS AT THE YEAR –END (a+ b-c)						
Notes: 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grant. 2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate funds and not to be mixed up with any other funds. .						

Form F

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND</u>				
<u>BORROWINGS:</u>				
1. Central Government				
2. State Government (specify)				
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due				
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (specify)				
- Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (specify)				
<u>TOTAL</u>				
<u>Note</u> : Amounts due within one year				

Form G

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULES 5-UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</u>		
1. Central Government		
2. State Government (specify)		
3. Financial institutions		
4. Banks:		
a) term loans		
b) other loans (specify)		
5. Other institutions and agencies		
6. Debentures and bonds		
7. Fixed deposits		
8. Other (specify)		
<u>TOTAL</u>		
Note : Amounts due within one year		

Form H

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:</u>		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
b) Others		
<u>TOTAL</u>		
Note : Amounts due within one year		

Form I

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULES 7-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</u>				
<u>A. CURRENT LIABILITIES</u>				
1. Acceptances				
2. Sundry creditors:				
a) For Goods				
b) Others				

and equipment										
4. Vehicles										
5. Furniture and fixtures										
a. Office equipment										
b. Computer peripherals										
c. Electric installations										
d. Library books										
e. Tube wells and water supply										
6. Other fixed assets										
Total of current year										
Previous year										
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS										
TOTAL										
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)										

Form K

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>		
1. In Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and bonds		
5. Subsidiaries and joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
<u>TOTAL</u>		

Form L

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year	Previous Year
<u>SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHERS</u>		
1. In Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
<u>TOTAL</u>		

Form M

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT** _____

(AMOUNT – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Schedule 11- CURRENT ASSETS, LOANS, and ADVANCES ETC.				
A. CURRENT ASSETS:				
1. <u>Inventories:</u>				
a) Stores and Spares				
b) Loose Tools				
c) Stock-in-trade				
Finished Goods				
Work-in-Progress				
Raw Materials				
2. <u>Sundry Debtors:</u>				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others				
3. <u>Cash balances in hand</u> (including cheques/drafts and imprest)				
4. <u>Bank Balances:</u>				
a) <u>With Scheduled Banks:</u>				
-On Current Accounts				
-On Deposit Account (includes margin money)				
-On Saving Accounts				
b) <u>With non-Scheduled Banks:</u>				
-On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
-On Saving Accounts				
5. <u>Post Office – Saving Accounts</u>				
<u>TOTAL (A)</u>				
<u>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u>				
1. <u>Loans:</u>				
a) Staff				
b) Other entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity				
c) Other (specify)				
2. <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:</u>				
a) On Capital Account				
b) Prepayments				
c) Others				
3. <u>Income Accrued:</u>				

a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments – Others				
c) On Loans and Advances				
d) Others (includes income due unrealized- Rs...)				
4. Claims Receivable				
TOTAL (B)				
TOTAL (A+B)				

Form N

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES</u>		
1) <u>Income from Sales</u>		
a) Sale of finished goods		
b) Sale of raw material		
c) Sale of scraps		
2) <u>Income from Services</u>		
a) Labour and processing charges		
b) Professional/consultancy services		
c) Agency commission and brokerage		
d) Maintenance services (equipment/property)		
e) Others (specify)		
<u>TOTAL</u>		

Form O

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	Current year	Previous year
<u>SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES</u>		
(Irrevocable grants & subsidies received)		
1) Central Government		
2) State Government(s)		
3) Government agencies		
4) Institutions/ welfare bodies		
5) International organizations		
6) Others (specify)		
<u>TOTAL</u>		

Form P
[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----

(AMOUNT – RS)

	Current year	Previous year
<u>SCHEDULE 14- FEES/SUBSCRIPTIONS</u>		
1) Entrance fees		
2) Annual fees/subscriptions		
3) Seminar/program fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others (specify)		
TOTAL		
NOTE – Accounting policies towards each item are to be disclosed		

Form Q
[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----

– RS)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS</u> (Income on Invest. from earmarked/endowment funds transferred to funds)		
1) <u>Interest</u>		
a) On Govt. securities		
b) Other bonds/debentures		
2) <u>Dividends:</u>		
a) On shares		
b) On mutual fund securities		
3) <u>Rents</u>		
4) Others (specify)		
TOTAL		
<u>TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>		

Form R
[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----

(AMOUNT – RS)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIO ETC.</u>		
1) Income from royalty		
2) Income from publications		
3) Others (specify)		
TOTAL		

Form S

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 17- INTEREST EARNED</u>		
1) <u>On Term Deposits:</u>		
a) With scheduled banks		
b) With non-scheduled banks		
c) With institutions		
d) Others		
2) <u>On Savings Accounts:</u>		
a) With scheduled banks		
b) With non-scheduled banks		
c) Post Office savings accounts		
d) Others		
3. <u>On Loans:</u>		
a) Employees/ staff		
b) Others		
4) <u>Interest on Debtors and Other Receivables</u>		
<u>TOTAL</u>		
<u>NOTE</u> – Tax deducted at source to be indicated		

Form T

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 18- OTHER INCOME</u>		
1) <u>Profit on Sale/disposal of Assets:</u>		
a) Owned assets:		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Export incentives realized		
3) Fees for miscellaneous service		
4) Miscellaneous income		
<u>TOTAL</u>		

Form U

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS</u>		
<u>&WORK IN PROGRESS</u>		
a) Closing stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
b) Less: Opening stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
<u>NET INCREASE /(DECREASE) [a-b]</u>		

Form V

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES</u>		
a) Salaries and wages		
b) Allowances and bonus		
c) Contribution to provident fund		
d) Contribution to other fund (specify)		
e) Staff welfare expenses		
f) Expenses on employees' retirement and terminal benefits		
g) Others (specify)		
<u>TOTAL</u>		

Form W
[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----

(AMOUNT – Rs.)

<u>SCHEDULE 21- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</u>		
a) Purchases		
b) Labour and processing expenses		
c) Cartage and carriage inwards		
d) Electricity and power		
e) Water charges		
f) Insurance		
g) Repairs and maintenance		
h) Excise duty		
i) Rent, rates and taxes		
j) Vehicles running and maintenance		
k) Postage, telephone and communication charges		
l) Printing and stationary		
m) Traveling and conveyance expenses		
n) Expenses on seminar/ workshops		
o) Subscription expenses		
p) Expenses on fees		
q) Auditors remuneration		
r) Hospitality expenses		
s) Professional charges		
t) Provision for bad and doubtful debts/advances		
u) Irrecoverable balances written off		
v) Packing charges		
w) Freight and forwarding expenses		
x) Distribution expenses		
y) Advertisement and publicity		
z) Others (specify)		
<u>TOTAL</u>		

Form X

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

<u>SCHEDULE 22- EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</u>	Current Year	Previous Year
a) Grants given to institutions/ organizations		
b) Subsidies given to institutions/organizations		
<u>TOTAL</u>		
<u>NOTE-</u> Name of the entities, their activities along with the amount of grants/subsidies are to be disclosed		

Form Y

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED -----**

(AMOUNT – Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>SCHEDULE 23- INTEREST</u>		
a) On fixed loans		
b) On other loans (including bank charges)		
c) Others (specify)		
<u>TOTAL</u>		

Form Z

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____****SCHEDULE 24-SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)****1. ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.

2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified, as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods at the year-end.

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liability for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets

6.2 In respect of additions to /deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

9. GOVERNMENT GRANT/SUBSIDIES

9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year-end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

12.2 Provisions for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end

Form AA

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR
ENDED _____**

SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts – Rs. _____ (Previous year Rs.)_____).

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity – Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity –Rs _____ (Previous year Rs. _____).
- Bills discounted with banks Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

1.3 Disputed demands in respect of:

- Income tax Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- Sales tax Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- Municipal Taxes Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rental under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal authorities least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Value of Imports Calculated on C.I.F Basis:

- Purchase of finished goods
- Raw, materials & components (including in transit)
- Capital goods
- Stores, spares and consumables

6.2 Expenditure in Foreign currency:

- a) Travel
- b) Remittances and interest payment to financial institutions/ banks in foreign currency
- c) Other expenditure
 - Commission on sales
 - Legal and professional expenses
 - Miscellaneous expenses

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis

6.4 Remuneration to auditors:

As Auditors

- Taxation matters
- For management services
- For certification
- Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

Schedule-II

Instructions and Accounting Principles

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

- 1) The financial statements of non-profit and other similar organizations (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; shall be in the form suggested, or as near thereto as possible.

If the information required to be given under any of the items or sub-items in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure Account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or The Income and Expenditure Account. This is recommended where items are numerous.

- 2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant Accounting Policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the financial Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons there for and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.
- 3) Accounting policies shall be applied consistently from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the Current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods shall be disclosed. In case of a change in accounting policies, which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is affected by such change shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.
- 4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.
- 5) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/ or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.
- 6) Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information).

‘Provision’ means any amount written off or retained by way of providing for (depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provision shall be made for contingent loss if:

- a) It is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or liability has been incurred at the balance sheet date, and
- b) A reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.

- 7) Where any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount, which is considered reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not as a provision.
- 8) Revenue shall not be recognized unless:
- a) The related performance has been achieved;
- b) No significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration; and
- c) It is not unreasonable to expect realization and ultimate collection.

- 9) Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of:
- “Prior Period” items, which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
 - “Extra-ordinary” items, which are material items of income or expenses, that arises from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
 - Any item under the head “Miscellaneous Income” which exceeds 1 percent of the total turnover/gross income of entity or Rs. 50,000/-, whichever is higher. This shall be shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.
 - Any item under the head “Miscellaneous Expenses “ which exceeds 1 percent of the total turnover/gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown as a separate and distinct item against an appropriate head in the Income and Expenditure account.
- 10) The Schedules referred to in the form, the accounting policies and explanatory notes shall form an integral part of the financial statements.
- 11) Notes to the Balance Sheet and Income and Expenditure Account shall contain the explanatory material pertaining to the items in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account.
- 12) The figures in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, if rounded off, shall be rounded off as below:

Amount of turnover (in Rs.)	Rounding off to (Rs.)
Less than One lakh	Hundred
One lakh or more but less than one crore	Thousand
One crore or more but less than one hundred crore	Lakh
One hundred or more but less than one thousand crore	Crore

- 13) Reference may also be made to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relating to in the formats Suggested.

Schedule-III

Notes and Instructions

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND

- Corpus/Capital Fund is akin to Capital, Share Capital or Owner’s Funds. It comprises amounts received by way of contributions specifically to the Corpus, as increased/decreased by the net operating results shown in the Income and Expenditure Account (other than surplus, if any, transferred to any Reserves or Earmarked Funds).
- The Opening Balance, Additions to, Deductions from and the Closing Balance of the Corpus/ Capital Fund shall be shown under this head.
- Additions to the Corpus Fund shall be net of transfers, if any, to any Reserve or Earmarked Fund required under statute or as per applicable Regulations.

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS

1. CAPITAL RESERVES:

* *Opening balance*

* *Additions during the year*

* *Deductions during the year*

The expression ‘capital reserves’ shall not include any amount regarded as free for distribution through the Income and Expenditure Account. Surplus on revaluation should be treated as Capital Reserves and shown separately. Surplus on translation of financial statements of foreign branches, if any, is no revaluation reserve.

2. REVALUATION RESERVE: To reflect effects of changing prices, fixed assets otherwise stated at historical cost substituted by a revaluation, normally done by competent valuers. Such substitution resulting in an upward revaluation is required to be shown as a “Revaluation Reserve”. This reserve is an unrealized gain and should not be credited as income in the income and Expenditure Account.

* *Opening balance*

* *Additions during the year*

* *Deductions during the year*

3. SPECIAL RESERVES (S): These would comprise Special reverse requires to be create pursuant to any statutory or regulatory requirement applicable to the entity; and if so, should be clarified in the Notes on Accounts in Schedule 27.

* *Opening balance*

* *Additions during the year*

* *Deductions during the year*

4. GENERAL RESERVE: The expression ‘General Reserve’ shall mean any reserve other than capital reserve and revaluation reserve. This item will include all reserves, other than those separately classified.

* *Opening balance*

* *Additions during the year*

* *Deductions during the year*

NOTES GENERAL

- (a) Movements in various categories of reserves should be shown as indicated in the schedule.
- (b) The expression ‘reserve’ shall not include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or Retained by way of providing for any known liability.

SCHEDULE 3-EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amounts received as grants or assistance, or retained by the entity to be utilized for specific or earmarked purposes and remaining to be expended/utilized for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under this head. Such funds may be received in cash or kind from Government, Govt. agencies, institutions and other agencies etc. and are subject to compliance by the entity, of certain stipulated terms and conditions. For this reason, the balances available and their utilization should be disclosed in the manner suggested in the Schedule. The plan Funds received from the Central and /or State Governments are to be shown as distinct category of Fund.

Other plan funds earmarked/endowed for any chair, house, building, Trust etc. are to be shown as distinct category of Fund.

The following shall not be reckoned as part of Earmarked Funds:

- a) Grants/funds, which have the characteristics of promoters’ contribution, which are of the nature of additions/accretion to the Corpus Fund:
- b) Funds/grants received by the Entity as compensation for expenditure/losses incurred in the earlier years, as these would be reckoned only in the Income and Expenditure Account for the year.
- c) Non-monetary grants by way of capital assets or other resources, corresponding credit of which is of the nature of capital reserve, unless such grants are specified as irrevocable contribution to the Corpus.

Notes- General

- a) It is appropriate to ensure that the accretions to and utilization of earmarked funds is in accordance with the terms and conditions attaching to the same.
- b) Earmarked Funds, considering their nature, are represented by specifically earmarked investments or other assets.
- c) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

- d) Records relating to fixed assets acquired/constructed should be maintained for each earmarked fund. However, for the purpose of the annual financial statements disclosure may be made of the aggregate accumulated cost up to each year and of such fixed assets in respect of each fund, unless the assets are taken over and are incorporated in Schedule 8.

SCHEDULE 4 –SECURED LOANS AND BORROWINGS

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Central Government | Indicate the nature of security and terms of repayment. Indicate the name of State Govt. and nature of security and terms of repayment. |
| 2. State Government | |
| 3. Financial Institutions | Includes borrowings/refinance obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development (including liability against participation certificates, if any.) Normally these may be in the form of Term Loans. |
| 4. Banks | Includes borrowings/refinance obtained from commercial banks (including co-operative banks). Term Loans need to be segregated from other facilities. |
| a) Terms Loans | |
| b) Other Loans | |
| 5. Other institutions & agencies | Includes institutions/agencies other those mentioned above. |
| 6. Debentures and Bonds | The terms of redemption of debentures and bonds should be stated with the earliest date of their redemption. |

Notes - General

- a) Information shall be given in each case as regards the nature of security given.
- b) Secured loans and borrowings shall be such as are against hypothecation/pledge/charge on the assets of the entity.
- c) The Aggregate amount of loans under each head, as are guaranteed by the Central/State Govt. may also be mentioned along with the fact that these are so guaranteed.
- d) Loans and borrowings include refinance from Institutions and agencies liability against participation certificates.
- e) Amounts received by way of discount of debtors or receivables or rediscount of bills, shall not be included under this head, but shall be shown as borrowings.
- f) Interest accrued and due shall be included under sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of Current Liabilities'.
- g) Unrecognized Inter-branch outstanding entries at credit should not be shown as borrowings.
- h) Amounts due within a period of less than 12 months as at the Balance Sheet date need to be disclosed.

SCHEDULE 5 –UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Central Government | Indicate the terms of repayment. |
| 2. State Governments (s) | Indicate name of the State Government and the terms of repayment. |
| 3. Financial Institutions | Includes borrowings obtained from Industrial Bank of India. Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development.

Normally these may be in the form of Term Loans. Pending creation of a charge on assets, bridge loans may be given as 'unsecured' loans. |
| 4. Banks | Includes borrowings obtained from Commercial Banks (including Cooperative Banks). |

	Indicate the nature of facilities.
	Overdrawn balances as per books do not constitute loans and generally arise due to cheques issued in excess of book balances such balances can be shown as loans only where the Entity enjoys or is granted overdraft facility.
5. Other institutions and agencies	Includes Loans from Institutions/Agencies other than those mentioned above.
6. Debentures and Bonds	The terms of redemption of Debenture and Bonds should be stated with the earliest date of their redemption.
7. Fixed Deposits	These comprise deposits received from Public or otherwise for fixed periods and against no security.

Notes- General

- a) Unsecured loans and borrowings comprise amounts in respect of which no assets of the entity is charged as security or encumbered.
- b) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of Current Liabilities.
- c) Amount due within a period of less than 12 months as at the Balance Sheet date need to be disclosed.

SCHEDULE 6 –DEFERRED CREDIT LIABILITIES

- 1) Acceptances and other similar long –term obligations contracted in respect of acquisition of assets, the liability for payment of which falls in periods longer than 12 months as at date of the Balance Sheet should be included here.
- 2) If the assets are charged as security or encumbered corresponding to the liability, this fact should be stated.
- 3) If the acceptances are also guaranteed for repayment by the Government, any Govt. Agency, Bank, Institution or other body/entity, this fact should also be stated.
- 4) Amounts due within one year of the date of the Balance Sheet need to be separately disclosed.

SCHEDULE 7 –CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**A. CURRENT LIABILITIES**

1. Acceptances	Included under this sub-head would be the drawer's assent on bills of exchange to the order of the drawer.
2. Sundry Creditors	The amounts to be shown against this sub-head shall comprise amounts owed by the entity in favour of others on account of goods purchased or services rendered or in respect of contractual obligations. These need to be segregated for goods and shown separately.
a) For Goods	
b) Others	
3. Advances Received	The liability against this sub-head shall comprise amounts received in respect of which goods or services have yet to be supplied/rendered or for which value has yet to be given, and includes advance subscriptions.
4. Interest accrued but not due	Includes interest accrued up to the year- end but not due on secured/unsecured loans and borrowings.
a) Secured Loans/Borrowings	
b) Unsecured Loans/Borrowings	
5. Statutory Liabilities	These comprise liabilities in terms of the Central/State laws governing the Entity; and include unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax Act, 1961, statutory bonus, provident fund, pension, gratuity, ESI, interest to SSI Units on their overdue, sales tax, excise, customs duty, and other statutory levies.
a) Overdue	
b) Others	Overdue liabilities are undisputed amounts which are due and remain unpaid beyond the normal due date/stipulated period i.e those are in default.

Notes- General

A Current Liability is one, which falls due for payment within a relatively short period, normally not more than 12 months.

B. PROVISIONS

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. For Taxation | Provisions needs to be made and retained based on the status of tax matters as at the year –end. |
| 2. Gratuity | Provisions for liability towards gratuity payable on death/retirement of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end. |
| 3. Superannuation/Pension | Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be actuarial basis, and provided upto the year-end. |
| 4. Accumulated Leave | Provisions for liability towards accumulated leave encashment of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided upto the year-end |
| 5. Trade Warranties/Claims | Where the entity is manufacturing/processing goods for sale, it may be liable to trade warranty risks, which needs to be provided for on a reasonable/rational basis |
| 6. Others: | These need to be specified, and shall not include provision for doubtful debts/advances, which shall be reduced from the relevant asset heads. |

Notes- General

Provisions is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value assets, or retained by way of providing for a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

ASSETS**SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS:**

1 LAND a) Freehold b) Leasehold	Where immovable properties are purchased/acquired by paying a composite cost, a reasonable/reliable estimate should be made of the land cost and shown separately. Leasehold land should be amortized over the period of lease unless the lease is in perpetuity.
2 BUILDINGS a) On freehold land b) On leasehold land c) Ownership Flats/ Premises d) Superstructures on Land not belonging to the Entity	As far as practicable, distinction may be made between factory and office buildings for purposes of provision for depreciation at different rates. Building/premises shall be those which are intended to be wholly/partly used for the purposes of the activities of the Entity and would not include “Investment Properties”. Superstructures on leasehold lands should be depreciated to be co-terminus with the amortisation of land, unless the superstructures have a shorter life. Building shall include roads, bridges, and culverts.
3. PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	Included under this Sub-head would be items like: - Earth moving Machinery - Boilers - Furnaces - Generators - Dyes/Mould - Machinery used for specific industry/services like Building contractors, in hospitals/clinics, processing units, hydraulic works (including pipelines), Tool rooms

	<p>- Other items used for manufacture/processing etc.</p> <p>Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of Information under the above sub-heads is encouraged.</p>
4. VEHICLES	<p>Included under this sub-head would be items like:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tractors/Trailers - Trucks, Jeeps and Vans - Motor Cars - Motor Cycles, Scooters, Three Wheelers and Mopeds - Rickshaws <p>Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of Information under the above sub-heads is encouraged</p>
5. FURNITURE, FIXTURES	<p>Included under the above sub-head would be items like:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cabinets/Almirahs/Filing Racks b) Air-conditioners / Air conditioning Plant c) Air Coolers d) Water Coolers e) Tables/Chairs/Sofas/Carpets f) Wooden partitions/temporary structures g) Voltage Stabilizers, UPS Systems h) Other Items <p>Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of Information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.</p>
6. OFFICE EQUIPMENT	<p>Included under the above sub-head would be items like:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Typewriters b) Photocopiers/duplicators c) Fax Machines <p>Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of Information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.</p>
7.COMPUTER/ PERIPHERALS	<p>Computers, Printers and their peripherals like the Floppies, CDs, and Software etc. would the items under this head.</p> <p>Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of Information under the above subheads is encouraged, for material amounts.</p>
8.ELECTRIC INSTALLATION	<p>Include under the above sub-head would be items like:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Electrical Machinery b) Electric Lights/Fans c) Switch gear instruments d) Transformers e) Electric Wiring and fittings

	Separate Account heads should be maintained in respect of above items and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.
9. LIBRARY BOOKS	In some cases the number of Library Books could be very large or there may be an established Library. In such cases these books may be disclosed as a separate category of assets. Library books will include books/ journals/ information stored in CD ROMs.
10 TUBEWELLS & WATER SUPPLY SYSTEMS	Tube wells and Water Supply System may be shown as a distinct category.
11 CAPITAL WORK- IN- PROGRESS	Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they are ready for their intended use. Plant. Machinery and equipment acquired and pending installation should also be included here.

Notes - General

1 Fixed Assets are those assets, which are held with the intention of being used for the purpose of producing or providing services and not held for sale in the normal course of trade.

2 Under each sub- head should be shown:

- a) The cost or the valuation as at the beginning of the year.
- b) Additions during the year (both acquisitions and by way of grants).
- c) Deductions (including sales, disposals, write-offs) during the year.
- d) The total cost/valuation as at the year-end.
- e) Depreciation upto the previous year-end, that on addition during the year and the total accumulated depreciation upto the year ends.
- f) The net block of the assets as at the year-end.

3. The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired (including by way of grants or at concessional rates), or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation/amortization.

4. Where sums have been written up for any assets due to their revaluation, the basis thereof should be disclosed; and every balance sheet after the first balance sheet subsequent to the revaluation should show the revised figures for a period of five years with the date and amount of revision.

5. Where grants relating to specific fixed assets are received and these are equal to the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the fixed assets should be shown in the Balance Sheet at nominal value.

Alternatively, grants related to depreciable fixed assets may be treated as deferred income and recognized in the income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants should be allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation is charged. Grants related to non-depreciable assets should be credited to "Capital Reserve" unless there are pre-conditions requiring fulfillment.

6. Depreciation

Depreciation shall be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life.

Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market charges. It includes amortization of assets the useful life of which is determined and depletion of wasting assets.

For this purpose:

- a) Depreciable asset means an asset which -
 - i. is expected to be used during more than one accounting period, and
 - ii. Has a limited useful life; and
 - iii. Is held by the entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purpose and not for the purpose of sale in the ordinary course of its business/operating activities.

- b) Depreciable amount of a depreciable asset means its original cost, or other amount substituted for original cost in the financial statements less the residual value;
- c) Useful life means either-
- The period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or
 - The number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the Entity.

SCHEDULE 9 – INVESTMENTS – FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS:

1 Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2 Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3. Shares	Investments in shares of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
4. Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of companies and corporations not included in item 2 should be included here.
5. Subsidiaries and /or joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a subsidiary or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment there in. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.
6. Others(to be specified)	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investments in Properties, if any, would also be included here.

Notes- General

- The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into “permanent” and “current” categories for valuation and determination of shortfall in value.
- Investments can either be “Long term “ or “Permanent “ or “Current”.
 - “Current Investment” means an investment, which is by its very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made. Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.
 - Long term investments are those investments, which are other than current investments, and these are intended to be held for the purposes of Capital appreciation and yield. Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.
- Investments held against earmarked/endowment funds need to be separately disclosed.
- Investments in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.
- The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value- both for long term & current investments.
- Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortized on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on Acquisition shall not be amortized.
- Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 10 – INVESTMENTS – OTHERS:

1 Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance Sheet.
2 Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3. Shares	Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.
4. Debentures and Bonds	Investments in debentures and bonds of Companies and Corporations not included in item 2 should be included here.
5. Subsidiaries and / joint ventures	Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a subsidiary or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment there in. An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that is held by the entity as at the beginning of the year.
6. Others	Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investments in properties, if any, would also be included here.

Notes- General

1. The gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into “permanent” and “current” categories for valuation and determination of shortfall in value.
2. a) Investments can either be “Long term “ or “Permanent” or “Current”.
b) “Current Investments” means an investment, which is by, is very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one-year from the date on which it is made. Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be on provided, while appreciation shall be ignored.
c) Long term investments are those, which are other than current investment, and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield. Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each Investment.
3. Investments held against earmarked/endowment funds are disclosed in Schedule 9.
4. Investments in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case of fixed assets.
5. The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value- both for long term & current investments.
6. Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortized on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on Acquisition shall not be amortized.
7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 11 – CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC.**A. CURRENT ASSETS:**

1. Inventories: Inventories comprise tangible property held for sale in the ordinary course of business, or in the process of production for such sales, or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumables other than machinery parts
- a) Stores and Spares
- b) Loose Tools
- c) Stock-in-trade Basis of valuation of inventories should be disclosed
- Finished Goods Finished goods would include goods purchased/ produced and lying in hand at all locations of the entity.
- Work-in-progress
- Raw Materials Raw materials would also include parts or components used or consumed in the progress of production of goods for sale.
2. Sundry Debtors: Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods sold or service rendered or in respect of contractual obligations.
- a) Debts Outstanding for a period exceeding six months Debts considered good for recovery and those considered doubtful shall be shown separately. Provisions for doubtful debts, if made, should be shown as a reduction from the amount of debts considered doubtful.
- b) Others
3. Cash balances in hand:
(Including cheques/drafts and imprest)
4. Bank Balances: Amounts held, as bank balances against earmarked/endowment funds should be separately disclosed.
- a) With Scheduled Banks
- On Current Accounts Where any deposit accounts are pledged or charged as security or are encumbered, the fact should be disclosed.
- On Deposit Accounts Overdue/Matured Deposits should be separately disclosed.
- (Includes margin money)
- On Saving Accounts
- b) With Non- Schedule Banks
- On Current Accounts
- On Deposit Accounts
- On Saving Accounts
5. Post Office – Saving Accounts:

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:

1. Loans: Loans and advances as are considered good & recoverable should be disclosed. Doubtful amounts, if any, should be stated under each sub- head, and provision, if made, should be shown as a reduction there from.
- a) Staff
- b) Other Entities engaged in activities/Objectives similar to that of the Entity Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after repayment of principal.
- c) Others (specify) Irrevocable grants/subsidies/donation to such entities shall not be included here. If interest –bearing, the amount of interest earned up to the year-end should be adjusted.

2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:
- Advances to suppliers/contractors for capital works should be shown against this sub-head.
- a) On Capital Account This includes prepaid expenses.
- b) Prepayments This would comprise receivables other than the debtors.
- c) Others
3. Income Accrued:
- a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds Both 'Income accrued and due' and 'Income accrued but not due' upto the year-end should be included under this head.
- b) On Investments – Others Income on Investment from Earmarked/ Endowment Funds and that on Other Investment should be shown separately.
- c) On Loans and Advances If uncertainty attaches to realization or ultimate collection, income should not be recognized, and if recognized, should be provided for.
- d) Others (includes income due unrealized -Rs) Dividends should be recognized based on the date(s) of their declaration.
- Separate disclosure should be made in respect of Income accrued, due but not realized.
4. Claims Receivable: Only claims, which are considered good and realizable, should be included.

SCHEDULE 12 – INCOME FROM SALES/SERVICES

INCOME FROM SALES:

1. Income from sales Sales comprise the aggregate amount for which sales are affected. These would be shown net of trade discounts, rebate and returns.
- a) Sale of Finished Goods
- b) Sale of Raw Material Sales are complete when significant risks and rewards of ownership get transferred from the seller to the buyer, irrespective of the time of payment or delivery of the goods.
- c) Sale of Scraps Disclosure of export sales should be made separately.
2. Income from Services Income must be shown at gross figures and tax deducted at source should be indicated separately.
- a) Labour and Processing Charges Labour and Processing charges realizable for processing/ fabrication of goods/materials of other entities should be disclosed against this sub-head.
- b) Professional/Consultancy Services Consultancy charges and fee for rendition of Professional services by the entity should be included under this sub head.
- c) Agency Commission and Brokerage Where the Entity acts as a broker or agent for arranging supply of goods/ services of others, i.e. without acting on a principal to principal basis, the commission and brokerage income earned would be shown against this sub-head
- d) Maintenance Services (Equipment/property
- e) Others (Specify) Where the Entity undertakes maintenance contracts for equipment or property etc., the income earned up to the ear-end from this source should be included under this sub-head.

SCHEDULE 13 – GRANTS/SUBSIDIES:

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) Central Government | Grants Subsidies or other similar assistance received for the general purpose and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, or to cover expenditure incurred in prior periods shall be included in this Schedule. |
| 2) State Government(s) | |
| 3) Government Agencies | These grants etc. are without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non- refundable amounts, which are to be appropriated to income. |
| 4) Institutions/ Welfare Bodies | |
| 5) International Organizations | The gross receipts shall be shown against each sub-head, and grants/subsidies which are given in turn to other institution/organizations on irrevocable basis, as expenditure should be considered in Schedule 22. |
| 6) Others (specify) | |

SCHEDULE 14 – FEES/SUBSCRIPTIONS:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Entrance fees | Accounting policies on each item will have to be disclosed. |
| 2) Annual fees/subscriptions | In case the fees like entrance fee, subscriptions etc. are in the nature of capital receipts, such amount should go to the Corpus/Capital Fund. Otherwise such fees will be incorporated in this schedule. |
| 3) Seminar/program fees | |
| 4) Consultancy fees: | In case the major activities of the entity are to organize seminar/workshop and/ or provide consultancy services, such income should form part of the Schedule 12. |
| 5) Others (specify) | The gross receipts should be shown here. Expenditure incurred on seminar/ workshops, consultancy etc. should be shown as 'other administrative expenses' in the schedule 21. |

SCHEDULE 15 – INCOME FROM INVESTMENTS:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) Interest | 1. Income form investments shall be disclosed at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately. |
| a) On Govt. Securities | |
| b) Other Bonds/Debentures | 2. Interest on Govt. securities shall comprise |
| 2) Dividends: | a) Interest earned at coupon rate upto the last applicable date of interest, i.e. interest accrued & due; and |
| a) On shares | b) Interest accrued thereafter upto the year-end at the coupon rate. |
| b) On mutual fund securities | 3. Income on bonds and debentures would include discount accrued upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at par or on premium, based on the terms of their issue. |
| 3) Rents | 4. Dividends shall be accrued, based on the dates of declaration thereof i.e. when the entity has a right to receive the same. |
| 4) Others (Specify) | 5. Rent shall be shown as income on investments on properties, if any. |
| | 6. Interest claimed on overdue/matured investments shall not be recognized unless pre-conditions for such recognition are satisfied. |
| | 7. Distinction should be made in respect of income on investments: |
| | a) Owned by the entity; and |
| | b) Those held against earmarked/endowment funds |
| | 8. At the year- end total of the income on investment from earmarked/ endowment funds should be transferred to the funds through schedule 13. |

SCHEDULE 16 – INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) Income from Royalty | Accounting policies on each item will have to be disclosed. |
| 2) Income from Publications | In case the major activities of the entity are to publish books, journals, documents etc., such income should form part of the Schedule 12. |
| 3) Others (Specify) | The gross receipts should be shown here. Expenditure incurred on publication etc. should be shown as 'other administrative expenses' in the schedule 21. |

SCHEDULE 17 – INTEREST EARNED:

- | | |
|--|---|
| 1. On Term Deposits: | 1. Interest income earned should be shown at gross figures and tax deducted at source is to be stated separately. |
| a) With Scheduled Banks | |
| b) With Non-Scheduled Banks | |
| c) With Institutions | |
| d) Others | |
| 2. On Savings Accounts: | 2. Distinction should be made in respect of Income; |
| a) With Scheduled Banks | a) on assets owned by the entity; and |
| b) With Non-Scheduled Banks | b) those held against earmarked/endowment fund; |
| c) Post Office Savings Accounts | |
| d) Others | |
| 3. On Loans: | |
| a) Employees/Staff | |
| b) Others | |
| 4. Interest on Debtors & Other Receivables | |

SCHEDULE 18 – OTHER INCOME:

- | | |
|--|--|
| 1. Profit on Sale/disposal of Assets | Sales proceeds/realization, net of the book value of the assets shall, if a surplus, be included under sub-head. |
| a) Owned assets | |
| b) Assets acquired out of Grants or received free of cost. | |
| 2. Export Incentives realized | Export incentives claimed and not realized upto the year –end shall be included in Income. |
| 3. Fees for Miscellaneous Services | Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed. |
| 4. Miscellaneous Income | |

SCHEDULE 19– INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK-IN-PROGRESS:

- a) Closing stock Accounting policies regarding valuation of stock should be declared.
 - Finished Goods
 - Work- in- Progress
- b) Less: Opening Stock
 - Finished Goods
 - Work- in - Process

SCHEDULE 20– ESTABLISHMENT EXPENSES:

- a) Salaries and Wages The gross expenditure against each head including in respect of staff on deputation should be disclosed.
- b) Allowances and Bonus
- c) Contribution to Provident Fund Statutory obligations of the entity towards provident fund, Employees' state insurance, retirement benefits etc. should be disclosed clearly and item-wise.
- d) Contribution to Other Fund (specify) In case of recoveries like fines, penalties etc. the same should not be deducted for the expense heads but included under 'Other Income' in the Schedule 18.
- e) Staff Welfare Expenses
- f) Expenses on Employees' retirement and terminal benefits
- g) Others (specify)

Notes – General

Prior period items:

Prior period and extraordinary items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net expenditure for the year is known.

SCHEDULE 21– OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES, ETC.

- a) Purchases* The gross expenditure against each head should be disclosed.
- b) Labour and processing expenses In case of recoveries e.g. rent recoveries, freight charges recovered, fines, penalties, damages from suppliers etc., the amount of such recoveries should not be deducted from the expenses heads but included under Schedule 16-“Other Income”.
- c) Cartage and Carriage Inwards
- d) Electricity and Power
- e) Water charges Prior period and extraordinary Items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net expenditure for the year is known.
- f) Insurance
- g) Repairs and maintenance The list of heads is not exhaustive but illustrative. As far as possible only these heads of accounts should be used unless there is compelling reasons to add or delete any of these heads.
- h) Excise Duty
- i) Rent, Rates and Taxes * Purchase should be segregated between raw materials and stores for manufacture and for finished goods traded in. In case of manufacturing entities, 'Consumption of Raw Materials' and 'Stores' may be given instead of Purchases'.
- j) Vehicles running and maintenance
- k) Postage, telephone and communication charges
- l) Printing and stationary
- m) Traveling and conveyance Expenses:
- n) Expenses on seminar/workshops

- o) Subscription expenses
- p) Expenses on fees
- q) Auditors remuneration
- r) Hospitability expenses
- s) Professional charges
- t) Provision for bad and doubtful debts/advances
- u) Irrecoverable balances Wwritten off
- v) Packing charges
- w) Freight and forwarding Eepenses
- x) Distribution expenses
- y) Advertisement and publicity
- z) Others (specify)

SCHEDULE 22– EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES, ETC.

- a) Grants given to Institutions/Organizations
- b) Subsidies given to Institutions /Organizations:
- Grants, subsidies or other similar assistance given to the Institutions/Organizations for general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, shall be included in this Schedule.
- Name of the Institutions/Organizations, their activities along with the amounts in each case should be disclosed.
- These grants etc. are with or without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated as expenditure.
- The gross receipts shown against each sub-head in the Schedule 13, could be the source of these Grants/subsidies that are given, in turn to other institutions/ organizations on irrevocable basis.
- The gross expenditure against each head should be disclosed.

SCHEDULE 23– INTEREST:

- a) On fixed loans
- b) On other loans (including bank charges)
- c) Others (specify)
1. Interest would include commitment charges.
2. Fixed loans are loans, which are for fixed period, like term loans.
3. Expenditure by way of interest as per Schedule 23 is the minimum disclosure requirement. The entity should be encouraged to disclose interest expended based on the sources of loans and borrowings as per the heads in Schedules 4 and 5.

SCHEDULE 25– CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS:

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. Claims against the entity not acknowledged as debts
2. Liability for partly paid investments
3. Liability on account of outstanding forward exchange contracts
-
- Liability on partly paid shares, debentures etc. is required to be stated.
- Amount of outstanding forward exchange contracts at the exchange rates applicable as at the year-end should be stated.

4. Guarantees and letters of credit outstanding:	Liability towards guarantees given by the entity or on its behalf and letter of credits outstanding as at the year-end are required to be disclosed.
5. Bills discounted	Bills discounted outstanding as at the year-end to be disclosed.
6. Other items for which the entity is contingently liable	Included here would be disputed statutory and other demands/claims, Bills rediscounted, commitments under-writing contracts and other items for which the entity is contingently liable.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Commitments on capital Account not provided for	This would arise in terms of contracts/arrangements in terms of which amounts would have to provided for be paid for acquisition/construction of assets. The amount, net of advances is required to be disclosed.
2. Others Notes	

Schedule-IV**Form of Statement of Receipts and Payments**

[See rule 4(2)]

Name of Entity : Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD /YEAR ENDED _____**

(Amount –Rs)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<u>I. Opening Balances</u> a) Cash in hand b) Bank Balances i) In current accounts ii) In deposit accounts iii) Savings accounts <u>II. Grants Received</u> a) From Government of India b) From State Government c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. To be shown separately). <u>III. Income on Investments from</u> a) Earmarked/Endow. Funds b) Own Funds (Other Investment) <u>IV. Interest Received</u> a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc. <u>V. OTHER INCOM (SPECIFY)</u>			<u>I. Expenses</u> a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20) b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21) <u>II. Payments made against funds for various projects</u> (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project) <u>III. Investments and deposits made</u> a) Out of Earmarked/Endowment funds b) Out of Own Funds (Investments-Others) <u>IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress</u> a) Purchase of Fixed Assets b) Expenditure on Capital		

VI. <u>Amount Borrowed</u> VII. <u>Any other receipts (give details)</u>			Work-in-progress V. <u>Refund of Surplus money/Loans</u> a) To the Government of India b) To the state Government c) To other providers of Funds VI. <u>Finance Charges (Interest)</u> VII. <u>Other Payments (Specify)</u> VIII. <u>Closing Balances</u> a)Cash in hand. b)Bank Balances. i) In current accounts ii) In deposit account iii) Savings accounts.		
TOTAL			TOTAL		

[F. No. 47/2/2010-R&R(i)]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.